राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4	सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का आठवां दिवस	संख्या : 4

सोमवार,
08 सितम्बर 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में माननीय सदस्यगण से विरोध प्रदर्शन सहित गरिमामय आचरण की अपेक्षा

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, अपना विरोध प्रकट करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह का यदि हम रोज करेंगे तो मैं समझता हूं कि 8 करोड़ जनता देख रही है, इसलिए आप अपना स्वयं सोच लें। मेरी ओर से कोई निर्देश नहीं हैं, लेकिन निवेदन है कि आप इस तरह का न करें तो अच्छा है। प्रश्न काल। ...(व्यवधान)... मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। यह शोभा नहीं देता कि हम इस तरह का पहनकर आएं। प्रश्न काल। ...(व्यवधान)... मेरी व्यवस्था पर मैंने कई बार निवेदन किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परमिशन दें तो एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर मैं इनको भी दूंगा। फिर इस पर बहस चलाओ। आप कुछ कहेंगे तो इनको भी दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा इसमें निवेदन यह है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते और विशेषकर हाउस में जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, वे भी इस तरह की अगर +++ करके हाउस में आएं तो हाउस की मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। इन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से, इनका विचार हो सकता है, सदन में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, इस तरह की +++ करना, इस तरह का रोज भाषण करके आना, यह राजस्थान विधान सभा की आज तक की परम्पराओं, हमारी मर्यादाओं, हमारे वैभवशाली इतिहास को तार-तार करने का काम प्रतिपक्ष के नेताओं ने किया है। इतिहास इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। ...(व्यवधान)...

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर
+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः अरे, आपकी ओर से मैंने अनुमति दी है। बीच में न बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इन परम्पराओं का सम्मान करते हैं। यह मैं निकाल देता हूं।

श्री अध्यक्षः ऐसा सभी से आग्रह है कि इसे निकाल दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम सारे ही निकाल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः इसको लपेटकर रख लीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिस प्रकार से इसको आप +++ करार दे रहे हैं न, यह +++ नहीं है। ये वही स्लोगंस हैं, जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में। तब आपको यह +++ नहीं लगती थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कोई भी लगाता हो, पर यह गलत है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... मैं लम्बी बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कि ये गांधी जी के तीन बन्दरों का ज्ञान है, वह आप लोग ले लें। वह हालत इस सरकार की हो रही है। यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल। श्री पूसाराम गोदारा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू में यूरिया खाद की आपूर्ति

50: श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसानों को डीएपी, यूरिया खाद उपलब्ध करवाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में वर्ष 2024 व 2025 में कितने मीट्रिक टन डीएपी, यूरिया खाद आवण्टित की गयी? उक्त वर्षों में उपलब्ध करवायी गयी खाद में से जिले के किस-किस सहकारी समिति एवं डीलर को कितनी-कितनी खाद आवण्टित की गयी? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में वर्ष 2024 एवं 2025 में डीएपी, यूरिया खाद की कमी रहने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार जिला चूरू में मांग के अनुसार किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) किसानों को खाद उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा गत वर्षो में हुई खपत, उपलब्ध स्टॉक एवं बुवाई क्षेत्रफल के आधार पर उर्वरकों की मांग का आकलन तैयार कर खरीफ एवं रबी फसल मौसम पूर्व कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका आवण्टन एवं आपूर्ति का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) वर्ष 2024 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक) में चूरू जिले की 37194 मीट्रिक टन यूरिया की मांग के विरुद्ध 01 अप्रैल 2024 को जिले में उपलब्ध आरम्भिक स्टॉक सहित

39224 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है एवं 13894 मीट्रिक टन डीएपी की मांग के विरुद्ध 11411 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक एसएसपी 3365 मीट्रिक टन एवं एनपीके 1668 मीट्रिक टन की आपूर्ति करवायी गयी। इस प्रकार कुल 16444 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति जिला चूरू में करवायी गयी।

वर्ष 2025 (अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक) में चूरू जिले की 11500 मीट्रिक टन यूरिया की मांग के विरुद्ध 01 अप्रैल 2025 को जिले में उपलब्ध आरम्भिक स्टॉक सहित 14351 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है एवं 6900 मीट्रिक टन डीएपी की मांग के विरुद्ध 6075 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक एसएसपी 1183 मीट्रिक टन एवं एनपीके 805 मीट्रिक टन की आपूर्ति करवायी गयी। इस प्रकार कुल 8063 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति जिला चूरू में करवायी गयी। माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। चूरू जिले में विधान सभावार सहकारी समिति/डीलरवार/यूरिया एवं डीएपी की आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2024 एवं 2025 में चूरू जिले में यूरिया की मांग अनुसार आपूर्ति करवायी गयी एवं अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण डीएपी उर्वरक का आयात बाधित होने से आपूर्ति प्रभावित हुई। राज्य एवं चूरू जिले में डीएपी की आंशिक कमी के मद्देनजर डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक एसएसपी एवं एनपीके की आपूर्ति कृषकों को करवायी गयी।

(4) किसानों को मांग अनुसार उर्वरक उपलब्ध करवाने हेतु उर्वरक आईएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक व जिले के ब्लॉक में उपलब्ध स्टॉक का गहनता से समीक्षा कर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह कर उर्वरक आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता कम्पनियों से समन्वय स्थापित करते हुए रैक लगवाकर उर्वरकों की आपूर्ति करवायी जाती है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से यूरिया व डीएपी उर्वरक की अतिरिक्त आपूर्ति करवाने के किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब प्राप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ सहित चूरू जिले में यूरिया और डीएपी की आपूर्ति मांग के अनुसार कर दी गयी है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने जो आपूर्ति बतायी है और जो आवण्टन बताया है, उसमें आवण्टन से ज्यादा आपूर्ति बतायी है, जबकि 2024-25 और 2025-2026 में लगातार किल्लत चल रही है और पूरे जिले को...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। भाषण मत करें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 में से 9 को 0 आवण्टन दिया है। सुजानगढ़ और बीदासर को 7 में से 4 को 0 दिया है। फिर आवण्टन के अनुसार आपूर्ति कैसे हुई? किसानों को लूटा जा रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय, प्रश्न पूछें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): लम्बी कतारें हैं। जो आवण्टन किया है, उससे कई आपूर्तियां आधी हुई हैं। किसान लुटा जा रहा है। उसे आवण्टन के मुताबिक...।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रश्न पूछें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे स्पष्ट करें कि क्या चूरू जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित इन्होंने किस प्रकार से आपूर्ति और आवण्टन का अन्तर लगभग बराबर बताया है? यह बात गलत है...।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ): इसलिए आईन्दा इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, यह माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य ने चूरू के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर्स के बारे में सवाल किया, अबकी बार जो बरसात हुई है, इनके चूरू में 48 हजार 109 हैक्टेयर एरिया और बढ़ गया बरसात के कारण। जो हमने तथ्य रखे हैं चूरू में फर्टिलाइजर्स के, यह बात सही है कि हम करीबन 2 हजार मीट्रिक टन यूरिया आपको ज्यादा दे रहे हैं और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। अभी 2025-26 में यूरिया की मांग थी 11 हजार 500 मीट्रिक टन और हमने आपूर्ति की 14 हजार 351 मीट्रिक टन।

हां, डीएपी में अपने यहां चूरू जिले में मांग थी 6 हजार 900 मीट्रिक टन और हम दे पाये हैं 6 हजार 75 मीट्रिक टन। डीएपी कम दिया है। उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-इजराइल युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी के भाव बढ़ गये। थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा। चीन से हम आमतौर पर डीएपी मंगवाते थे, जो नहीं मंगवा सके। जो यह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, उसके कारण डीएपी थोड़ा कम आया है। यूरिया भरपूर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएपी के वैकल्पिक फर्टीलाइजर के रूप में हमने इनको 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन एसएसपी दिया है और 2 लाख 72 हजार टन एनपीके की आपूर्ति की है। पूरे चूरू जिले में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। जैसी कि ये शिकायत कर रहे हैं कि इनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, कहीं डायवर्जन हो रहा है या कहीं कालाबाजारी हो रही है तो माननीय सदस्य के जानकारी देने पर हम पुख्ता कार्यवाही करेंगे। हमने विजिलेंस की टीम बना दी है। सारे अधिकारी सतर्क हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होने देगी, न ही टैगिंग होने देगी। जहां टैगिंग और कालाबाजारी की शिकायत मिलेगी, वहां हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। मैं सदन को इस बात का भरोसा देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, सदन भी यह जानना चाहता है कि आपने पिछले दिनों पूरे राजस्थान में अजमेर में और

गंगानगर में अन्य जगह नकली खाद की फैक्टरियां पकड़ीं और आपने पूरे राजस्थान में यह मैसेज दिया कि नकली खाद की फैक्टरियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की, आप यह बताएं कि जब आप मैदान में गये, उससे पहले आपके कर्मचारी, अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है, उस पर पर्दा डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। की गयी है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करें।

आपने जो आपूर्ति की बात बतायी है, वह भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम में 2025 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 11 सोसाइटियों में आपने 0 दिया है, इसको आप सदन में स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है, भाषण नहीं। विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्यवाही की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 117 औचक निरीक्षण किये। कांग्रेस के पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण करके इसका राजनीतीकरण नहीं करना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज में हमने 2025-26 में 80 सीजर किये हैं। कांग्रेस के राज में एक भी नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 64 एफआईआर्स दर्ज की हैं, हाइएस्ट अब तक, कभी नहीं हुई। हमने स्पेशल अभियान चलाकर 64 एफआईआर्स एक ही वर्ष में दर्ज की हैं। कांग्रेस के 5 साल के राज में 20 दर्ज हुई थीं, वे भी प्राइवेट इस्तगासा के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिये हैं, ये हैं 423 और आपके नमूने नाममात्र के हैं। ...(व्यवधान)... वही पूछा है उन्होंने। वही पूछा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): जो पूछा है हरीश जी, उसका जवाब दे रहा हूं। आप यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में। जो भी बैठकर बोल रहा हो, उसका कोई अंकित नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रोहित, बैठे-बैठे नहीं।

Mkd/rtm/08.09.2025/1110/1b

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हमारे यहां क्वालिटी कंट्रोल में हमारे विभाग ने कार्यवाही की है। उसमें थोड़ी तुलना दे दूं, आप इर्रिटेड मत होना। 2023-24 में जब कांग्रेस का राज था, इन्होंने नमूने लिये 23 हजार 492 और हमने नमूने लिये 28 हजार 97 और अभी 2025-26 में हमने नमूने लिये 13 हजार 612, हमने लाइसेंस निलम्बित किये 126 और निरस्त किये हैं 37 और 11 बड़े अधिकारियों को, जिन्होंने लापरवाही बरती है, हमने उनको सस्पेंड किया है, जिसकी आपको जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: शार्ट में आप कहें, 10 मिनट हो गये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के नेता यहां पर मौजूद हैं और चूंकि खाद का, जो कि बहुत ही गम्भीर विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपने फैक्टरियों में नकली यूरिया पकड़ा, इसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन कितने लोग सलाखों के पीछे गये, एक भी नहीं गया होगा। एक भी नहीं गया होगा, वह तो बताया है। ऐसे लोग जो किसान के साथ अन्याय कर रहे थे, उन लोगों के साथ क्या कार्यवाही की जायेगी? एक नम्बर।

दो नम्बर, माननीय मुख्य मंत्री जी आपने 23 अगस्त को भरतपुर में यूरिया के लिए मीटिंग ली थी। वहां पर डिमांड थी 4 लाख कट्टों की और 24 अगस्त को ही अख़बार ने छापा की 4 लाख की डिमांड थी, एक लाख कट्टे आये। जब सदन का मुखिया किसान हो और उसी जिले में 25 परसेंट आपूर्ति हो तो क्या यह सही है कि सरकार को यूरिया के इम्पोर्ट की तैयारी पहले करनी चाहिए थी, सरकार वह नहीं कर पाई। इसकी वजह से आज किसान परेशान है।

छोटा सा निवेदन और है कि डीएपी के साथ, माननीय मंत्री जी अलग-अलग चीजें, वहां विक्रेता किसानों को दे रहे हैं। जो कट्टा 1300 का होना चाहिए, वह उनको 2300 तक में मिल रहा है। इस पर भी सरकार क्या कार्यवाही करेगी? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): देखो ऐसा है कि किसी प्रकार का सामान, फर्टिलाइजर जो किसान चाहता है, उसको टैगिंग कहते हैं, अटेचमेंट भी कहते हैं। कोई दुकानदार करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करते हैं। कुछ कम्पनियां जान-बूझकर टैगिंग ऊपर से करती हैं, जिसको रोकने में बड़ी दिक्कत आती है।

मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि दो बड़ी कम्पनियों के गोदाम जो टैगिंग के भरे पड़े थे जयपुर में, हमने रैकी करके उनको और जो चम्बल फर्टिलाइजर कम्पनी थी, उनके गोदामों को हमने यहीं सील कर दिया, ताकि वह नीचे नहीं जा सके। यह हमने कार्यवाही की है।

भरतपुर में वैसे ही पर्याप्त खाद है, जैसे चूरू में है। कुछ अख़बार वालों ने जान-बूझकर exaggerated उसको लिखा गया था, इस समय राजस्थान के किसी जिले में कम से कम यूरिया, थोड़ा बहुत डीएपी में है। मुख्य मंत्री जी ने भी बराबर पत्र लिखा है और मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय मंत्री जी से मिले भी हैं। मैंने भी पत्र लिखा है। मैं केन्द्रीय मंत्री जी से मिला हूं और हमारे सैक्रेटरी हर सात दिन में वर्चुअली अधिकारियों से बात करते हैं। हम बिलकुल काग्निजेंट हैं, बिलकुल सतर्क हैं। किसी प्रकार के यूरिया और डीएपी की कमी नहीं आने देंगे।

हां, यह बात सही है कि विपक्ष का भी हमको उतना ही साथ चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। आप जहां भी सूचना दोगे कालाबाजारी की..। हां, सहकारिता का मैं जवाब देता हूं। सहकारिता हमारी पहली प्रायोरिटी है, जीएसएस, केवीएसएस, एफपीओ। उन्हीं केवीएसएस, जीएसएस को खाद नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी हालत ठीक है, माली हालत खराब है और वे पैसा नहीं जमा करा रहे हैं। वरना, हमने सारी कम्पनियों को पाबन्द कर दिया है कि पहली

प्रायोरिटी जीएसएस और केवीएसएस और एफपीओ है। उसके बाद में प्राइवेट है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम उन्हीं को खाद देंगे।

श्री अध्यक्षः श्री गुरवीर सिंह। नहीं-नहीं आपके दो हो गये हैं। आप बैठिये।

रीको औद्योगिक क्षेत्र में गैर औद्योगिक उपयोग

51. श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) रीको व राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिकतम सीमा क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित इस अधिकतम सीमा से अधिक गैर औद्योगिक उपयोग हो रहा है? प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र का नाम व उसमें निर्धारित सीमा से अधिक गैर औद्योगिक उपयोग हुआ है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित सीमा से अधिक गैर औद्योगिक उपयोग के कारण और आधार क्या हैं तथा इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कौन-कौन अधिकारी अधिकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के पालन को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की रोकथाम हेतु क्या उपाय और कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) रीको व आरएसएमआईडीसी (रीको की पूर्ववर्ती संस्था) द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्य के लिए अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत का निर्धारण कार्यालय आदेश दिनांक 27.06.2011 के द्वारा किया गया है। (अनुलग्नक-अ) तथा कार्यालय आदेश दिनांक 04.05.2018 (अनुलग्नक-ब) को 14 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी।

(2) प्रदेश में 44 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक (औद्योगिक उपयोग सड़क, ओपन/वुडलैंड, नाला एवं रिजर्व्ड एरिया को छोड़कर) (15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत) की अधिकतम सीमा से अधिक हो गये हैं। प्रत्येक क्षेत्र का नाम व कितनी अधिक उपयोग हुई है, का विवरण अनुलग्नक-स पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में 44 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक (औद्योगिक उपयोग सड़क, ओपन/वुडलैंड, नाला एवं रिजर्व्ड एरिया को छोड़कर) (15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत) की अधिकतम सीमा से अधिक हो गये हैं, के कारण व आधार का विवरण अनुलग्नक-स पर संलग्न है।

उक्त कॉरपोरेशन द्वारा इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने के लिए रीको के निदेशक मण्डल तथा भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 ए (2) के अनुसार रीको के प्रबन्ध निदेशक अधिकृत हैं।

(4) रीको के द्वारा रीको भू-निपटान नियम, 1979 के क्रम में कार्यवाही की जा रही है

तथा रीको के निदेशक मण्डल उक्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत हैं।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सर, मेरे पास उत्तर आ गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग ने यह माना है कि 44 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 15 परसेंट है या उससे ज्यादा है। विशेष तौर पर इन्होंने 14 औद्योगिक केन्द्रों को 20 परसेंट से ऊपर अलाउ किया है।

मेरा सवाल यह है कि कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्होंने 70 से 100 प्रतिशत तक, तीन ऐसे हैं, जो 100 परसेंट तक नॉन इंडस्ट्रियल यूज में ले गये। 100 परसेंट वाला है, कांट कालवाड़, 76 परसेंट वाला जीरोता दौसा है, एक 72 परसेंट में सीतापुरा भी है। 50 से 70 वाले दो हैं और 20 से 50 वाले अनआथोराइज्ड नॉन इंडस्ट्रियल यूज है, that is 12 in numbers. तो मेरा विभाग से, मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि, as per Rule number 20(c) of RIICO Disposal of Land Rules 1979, क्या हमने इन्हें रेगुलराइज कर दिया है या नहीं किया है? बस हां या ना में उत्तर चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हां या ना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल से कई परतें खुलती हैं। मुझे लगता है कि सदन को यह जानना बहुत जरूरी है और साधारण-सा हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जमीन बेशकीमती जमीन है, जो हम सस्ती दरों पर उद्योगों के लिए देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि यहां पर एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आये, आर्थिक मजबूती आये और हमारे युवाओं को रोजगार मिले।

अब इसके लिए जरूरी है कि सरकार के जो अलग-अलग विभाग हैं, वे आपस में समन्वय रखें, बातचीत रखें। 1959 लैंड अलाटमेंट रूल, जो रेवेन्यू का है, उन्होंने बड़ी समझदारी से उस समय इंडस्ट्रीज की परिभाषा के अन्दर सपोर्टिंग सर्विसेज, लेबर हाउसिंग, रेजिडेंशियल, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल संस्थान, मार्केट, रेस्ट्रोज, पेट्रोल पम्प ये सब लिखे थे। आज की तारीख में रीको के पास दो तरह की जमीनें हैं, एक है जो रीको खुद डवलप करता है अपने औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा जो स्थानांतरित हैं 1979 से पहले, जिसको हम ट्रांसफर्ड लैंड भी कहते हैं। जिसके ऊपर एक रोक भी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 के अन्दर।

2011 के अन्दर रीको ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी जारी की और कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर केवल 15 परसेंट ही नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ लागू होगा तो यहां पर 1959 की जो रेवेन्यू की परिभाषा थी, वह 2011 की जो सरकार थी, उसमें रीको ने अपने आप उसको बदल दिया। आज की तारीख में जो 44 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें से 40 औद्योगिक क्षेत्र, जिनमें उल्लंघन हुआ है, वे ऐसे हैं, जो 2011 से पहले के हैं और 04 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जो 2011 के बाद के हैं। 2018 में एक और पत्र आया था, जिसमें रीको ने लिखा कि 14 औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर 20 प्रतिशत तक आप नॉन इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं।

अब मुख्य बिन्दु यहां पर यह है कि इंडस्ट्री क्या है । उसके लिए मैं संक्षिप्त में समाप्त कर रहा हूं। उसके लिए हम लैंड वेलिडेशन एक्ट लेकर आये हैं। हमारी सरकार सारा कुछ समझकर लैंड वेलिडेशन एक्ट लेकर आई, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और एक स्पष्टता लेकर आ जायेगा। जो प्रवर समिति के पास भी गया है। मुझे उम्मीद है, वह अब जल्दी ही पास होगा। उसके होते ही माननीय हमारे एमएलए गुरवीर जी और आप सभी को कि ये सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जायेंगी।

श्री अध्यक्षः और कोई दूसरा प्रश्न पूछना है?

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): हां, साहब। सर, पूरक प्रश्न यह है कि जो कंवर्जन चार्जेज हैं और जो पैनल्टी हैं, as per Rule number 20(c) of Sub-clause (a) and further Sub-clause 19(c), में जो इनको कैंसिल करने का या इनसे पैनल्टी चार्ज करने का जो प्रोविजन है, क्या हम उसमें पैनल्टी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी, जब एक बार लैंड वेलिडेशन एक्ट आयेगा, उसके बाद रूल्स बनेंगे। रूल्स के अन्दर हम देखेंगे कि कहां जरूरत है, जहां पैनल्टी चार्ज करनी है, कंवर्जन लेना है, वह सरकार और राजस्थान के हित में निर्णय होगा।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार। अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार, सुजानगढ़।

सुजानगढ़ व बीदासर के विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण

52. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सुजानगढ़ व बीदासर के कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों का अभाव है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसीलों के कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं?

(3) क्या सरकार तहसील सुजानगढ़ व बीदासर के सभी उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पृथक से बालिका शौचालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) यू-डाइस डाटा 2023-24 के अनुसार तहसील सुजानगढ़ के स्वयं के भवन वाले कुल 147 राजकीय विद्यालयों में से 146 विद्यालयों में एवं तहसील बीदासर के स्वयं के भवन वाले कुल 195 राजकीय विद्यालयों में से 195 राजकीय विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है। तहसील सुजानगढ़ के स्वयं के भवन वाले 01 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारोठिया में शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।

(2) तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर में यू-डाइस डाटा 2023-24 के अनुसार स्वयं के भवन वाले 02 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारोठिया एवं घ्यातरी में बालिका शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी हां। सरकार उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पृथक से बालिका शौचालय बनाने का विचार रखती है। राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत

शौचालय निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): मैं सीधा सप्लीमेंट्री ही पूछ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया है कि लगभग सभी विद्यालयों में पृथक से बालिका शौचालय बने हुए हैं पर शौचालय धरातल पर बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है और उनकी क्या हालत है, वह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है।

मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह अभी भवनों का, कमरों का सर्वे हुआ है, क्या उस तरह से जो सभी बालिका शौचालय हैं या जनरल शौचालय हैं, उनका सर्वे कराने का विचार रखती है क्या? वे यूजेबल हैं बालिकाओं के लिए या नहीं है?

दूसरा प्रश्न है कि क्या कोई समय-सीमा सरकार तय करती है कि इतने समय में हम बालिकाओं के सभी शौचालय हैं, अगर वे यूजेबल नहीं है तो उनका रिनोवेशन करवाकर या नये बनाकर उनके यूज के लिए बनवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री जी।

Bhs/Rtm/08.09.25/11.20/1c

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्कूलों के साथ-साथ ही शौचालयों का सर्वे भी जारी है, लगभग हो गया और हम चरणबद्ध तरीके से सभी शौचालयों की मरम्मत करायेंगे।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): कोई समय सीमा तय है क्या? कब तक मरम्मत करायेंगे? मैंने यह भी पूछा है। कोई समय सीमा है?

श्री अध्यक्ष: समय सीमा पूछ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक करायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। आप प्रश्न पूछ सकते हो, हो गया आपका।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, सब में शौचालय है, सब में बिल्डिंग ही नहीं है तो शौचालय कहां से बना दिये? सब में बिल्डिंग ही नहीं है साहब, बच्चे बाहर बैठे हैं, शौचालय कहां से बना दिये? ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 9 हजार स्कूलों में नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान। आपका प्रश्न है, श्री रफीक खान। आप प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं?

जामडोली (जयपुर) के विमंदित गृह में हुई मौतें

53. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के जामडोली स्थित विमंदित गृह में विगत दो वर्षों में कितनों की मृत्यु हुई?

(2) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 2025 में मृतक का दाह संस्कार करने में विलम्ब

हुआ है? यदि हां, तो कितने दिन बाद सवाई मानसिंह अस्पताल से मृतक की देह लायी गयी तथा कितने समय बाद दाह संस्कार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त माह में मृतक की मृत्यु के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) आगरा रोड पर जामडोली स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह (बालक एवं बालिका विंग) में विगत दो वर्ष में आवासियों की हुई मृत्यु की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बौद्धिक दिव्यांग गृह (बालिका विंग) जामडोली जयपुर में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को एक आवासनी की मुत्यु हुई है। उक्त आवासीय को दिनांक 26.03.2025 को तबीयत खराब होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल में ईलाज के दौरान दिनांक 29.04.2025 को रात्रि 10:30 बजें मृत्यु हो जाने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उक्त आवासनी के माता-पिता के अज्ञात होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित थाने को दिनांक 30.04.2025 को सूचित किया गया। उक्त कार्यवाही उपरान्त आवासनी के शव का दिनांक 05.05.2025 को पोस्टमार्टम पश्चात् पुलिस द्वारा सुपुर्दगी करते ही दिनांक 05.05.2025 को दाह संस्कार की कार्यवाही की गयी।

(3) मृतका की मृत्यु अस्पताल रिपोर्ट के अनुसार Lower Respiratory Tract Infection (Pneumonia) के कारण हुई। उक्त संबंध में दाह संस्कार में हुई देरी के लिए तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह, बालिका विंग, जामडोली, जयपुर को निलम्बित कर दिया गया है। परिशिष्ट-ब

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जवाब आ गया, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया तो विराजो। पूरक प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इत्तफाक से मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, 2016 में इसी विभाग में इसी विमंदित गृह में 12 मौतें एक साथ हुई आपके राज में और अभी इस बार फिर पिछले तीन महीनों में चार मौतें हो गई और मुख्य मंत्री जी हद तो तब हो गई, ...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर बात करो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई कि एक बच्ची विमंदित गृह की 19.3.25 को भर्ती होती है और एक महीने तक कोई सार-सम्भाल नहीं होती और 29.4.25 को वह बच्ची मर जाती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रश्न पर ही आ रहा हूं, सर। आपको पता होना चाहिये कि कितने सनातन के नाम पर लोग-बाग सत्ता में आ रहे हैं और कितना अधर्म हो रहा है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...कि 29 तारीख को मृत्यु हो जाती है और 5 तारीख तक कोई अन्तिम संस्कार नहीं किया जाता।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, भाषण नहीं। मैं बार-बार सभी से कह रहा हूं। प्रश्न पूछो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यही पूछ रहा हूं कि इन 6 दिनों के लिए कौन दोषी है? 6 दिन बाद भी मुझे इन्टरवीन करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय को बताता हूं। क्या सरकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। भाषण नहीं। मैं अगला पुकार रहा हूं। प्रश्न पूछो न। यह भाषण का नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रश्न यही है कि 6 दिन तक अन्तिम संस्कार क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। अपन प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर भी आयेगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पहले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा उत्तर सुनेंगे तो सदन के सामने पूरी जानकारी आ जायेगी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उत्तर आ चुका।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि एक हमारा जो राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह है जामडोली उसमें ऐसे मानसिक रूप से विमंदित जो बालक-बालिका हैं उनको हम लोग वहां रखते हैं और जिस मृतका की वो बात कर रहे हैं...।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी भाषण दे रहे थे, प्रश्न कहां पूछ रहे थे? आप भी लम्बा भाषण कर रहे थे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने पूछा 6 दिन के लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है 6 दिनों के लिए? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति नहीं है। इनके प्रश्न का उत्तर दे दो आप।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं वो ही तथ्यात्मक रिपोर्ट रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर दे दो। 22 मिनट में तीन ही प्रश्न हुए हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं वो ही रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के अन्दर 6.8.2016 को संस्थान में इस बच्ची को प्रवेश दिया गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह तो लिखित में आ गया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं आया। आप पहले पूरी बात तो सुनो एक बार आप। तेज आवाज में बोलने से कुछ नहीं छुपता।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बालिका सीमा-II है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह पूछ रहा हूं कि 6 दिन तक अन्तिम संस्कार क्यों नहीं हुआ?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं वो बता रहा हूं न, आप सुनिये न एक बार।

श्री अध्यक्ष: आ रहा है वह भी। वह भी आयेगा न। पहले एक लाइन का पूछते तो एक लाइन का उत्तर दिलाता।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बालिका सीमा-II जिसकी आयु 29 साल है, को 26.3.2025 को एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती कराया गया चूंकि उस परिसर में ऐसे दिव्यांग बालक-बालिका रहते हैं जिनकी इम्युनिटी पॉवर कम रहती है बहुत कमजोर तरह के रहते हैं। 26.3.205 से लेकर के 29.3.2025 तक उसका एस.एम.एस. अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चला। 29 तारीख को रात को 10.00 उस बालिका की मृत्यु हो गई, जैसे ही मृत्यु हुई, हमने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना के अन्दर दे दी। पुलिस थाने के अन्दर हमने उसकी रिपोर्ट दी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आप जो पूछ रहे हैं कि किस तरह से लेट हुआ तो 27.9.2021 का सर्कुलर है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चुपचाप सुनिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप बीच में खड़े मत होइये। प्लीज बैठिये आप एक बार बैठिये। आप सुनते नहीं हैं। 29 तारीख को जब डेथ हुई रात को 10.00 बजे, हमने दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट पेश की, जैसे ही रिपोर्ट पेश की पुलिस थाना जामडोली ने एक मर्ग दर्ज किया। 27.9.2021 का कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा, राजस्थान का एक सर्कुलर है उसके 7 नं. पाइंट में यह लिखा हुआ है कि अज्ञात मृतक का शव स्थानीय चिकित्सालय में कम से 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाये जिससे उसके परिजनों की तलाश कर उसकी पहचान स्थापित करने का अवसर मिल सके। हमने जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, पुलिस थाना जामडोली में उसकी रिपोर्ट दी, हमारे अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करायी। 72 घंटे का राजस्थान सरकार की पुलिस का एक नियम है ...(व्यवधान)... आप सुनिये एक मिनट के लिए। सुनिये। 72 घंटे तक हमने उसको पुलिस थाने ...(व्यवधान)... एक बार जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करना, पंचनामा करना, बॉडी की सुपुर्दगी का काम पुलिस का है और जैसे ही पुलिस ने 5 तारीख को उसकी तहरीर दी, 5 तारीख को ही पोस्टमार्टम हुआ और 5 तारीख को ही उपखण्ड अधिकारी की मौजूदगी में, हमारे विभाग के अधीक्षक की मौजूदगी में उसका

अन्तिम संस्कार कर दिया गया। यह 2021 का सर्कुलर अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा रहा हूं इसको पढ़ लें और उसके बाद में सवाल लगायें, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति का अगर अन्तिम संस्कार होगा उसके पहले राजस्थान सरकार की पुलिस उस नियम को फॉलो करेगी इसलिये यह देरी हुई है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके हिसाब से अगर यह दोष नहीं था तो सुपरिन्टेन्डेन्ट को सस्पेंड क्यों किया आपने? अगर कोई गलती ही नहीं थी तो सुपरिन्टेन्डेन्ट को क्यों सस्पेंड किया आपने?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं उसका भी बताता हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसकी गलती थी? सुनो, मैं बताऊं आपको, मैंने फोन किया आपको। 5 तारीख को मैंने फोन किया।

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुनिये। मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। अगला प्रश्न।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: मैं उत्तर दिला रहा हूं तो आप बोलते ही जा रहे हो। मैं उत्तर दिला रहा हूं न।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आपने यह कहा था कि 2012 में इतनी मौतें हुई थी, 2020 में 4 मौत आपकी सरकार में हुई, 2021 में 2 मौतें हुई, 2022 में 3 मौतें हुई, 2023 में 6 मौतें हुईं, आपके कार्यकाल में 15 मौतें हुई हैं। हमारे दो साल में 4 मौतें हुई हैं जो उत्तर में है। आपने कहा कि उत्तर हमें मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन सिंह बामणीया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर उत्तर आता तो सदन को पता लगता उसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अख़बार में इस प्रकार की न्यूज आयी तो हमने हमारे विभाग की अधीक्षक को सस्पेंड इसलिये कर दिया कि उसके बाद में जो देरी हुई थी, हमने विभाग की जिम्मेदारी ली कि पांच दिन, इसलिये हमने उसको सस्पेंड कर दिया था, जो अख़बार में रिपोर्ट आयी थी, अख़बार की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हमने उसको सस्पेंड किया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री अर्जुन सिंह बामणीया, आप प्रश्न पूछो, नहीं तो जो पूछेगा उसके लिए कहूंगा। अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। आप प्रश्न पूछें।

बांसवाड़ा में जनजाति विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्य

54.श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्यों की द्वितीय किश्त एवं अंतिम किश्त की राशि हस्तानान्तरण किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सरकार को कब-कब प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अब तक प्राप्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र में से कितने कार्यों के समायोजन आदेश जारी कर, शेष राशि के हस्तान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार समायोजन शेष रहे कार्यों के समायोजन आदेश जारी कर शेष राशि हस्तान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जिला बांसवाडा में जनजाति विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्यों की वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में द्वितीय किश्त एवं अंतिम किश्त की राशि हस्तानान्तरण जारी किये जाने हेतु प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वाले 211 कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग में जिला बांसवाडा में जनजाति विकास कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 102 कार्यों के राशि रुपये 296.40 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन आदेश जारी किये गये है जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला बांसवाडा में जनजाति विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्यों की वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में द्वितीय किश्त एवं अंतिम किश्त के रूप में राशि हस्तान्तरण के कार्यो की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

(3) हां, समायोजन से शेष रहे कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों की जाँच एवं कमी पूर्ति पश्चात समायोजन आदेश नियमानुसार जारी कर देय राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में आन्सर आ गया है मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप पूरक प्रश्न पूछें।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने परिशिष्ट 'स' में बताया कि 109 कामों की यू.सी.,सी.सी. आ गई और 109 कामों की यू.सी.,सी.सी. आने के बावजूद सबमें यह लिखा हुआ है कि प्रक्रियाधीन है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रक्रियाधीन का कितना समय है और कब तक पूरा हो जायेगा? मंत्री जी यह बतायें फिर दो प्रश्न और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि परिशिष्ट 'स' में प्रक्रियाधीन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिकतर काम वो हैं जो आपके सरकार में आपने स्वीकृत किये थे चुनाव से पहले और आपने यह किये थे तो जो आपने काम किये थे उनका हमको देखना भी था कि काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है और वो काम देख करके फिर हमको यू.सीज समायोजित करनी थी इसके कारण से लेट हुआ। अभी प्रक्रियाधीन है, जो यू.सीज हैं उनको सबको देखेंगे तो सही

न, ऐसे आँख मीच कर तो करेंगे नहीं और हम देखेंगे कि जो यू.सी. आई है उसमें जीओ टैगिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसमें सक्षम अधिकारी के दस्तख्त हैं कि नहीं है यह सारी चीजें देखने के बाद में उन यू.सीज का हम समायोजन कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला पूछें।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया का समय पूछा कि आपकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी? उसका आन्सर नहीं आया। उसका आन्सर तो दिलाओ कि प्रक्रिया कब पूरी हो जायेगी? 9-9 महीने, 12-12 महीने हो गये, यू.सीज चली गई, उसके फोटोज चले गये, उसके बाद में आप लिख रहे हो कि प्रक्रियाधीन है तो प्रक्रिया की सीमा पूछ रहा हूं मैं, सीमा बतायें आप।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया प्रक्रिया क्या है कि इनके समय में काम हुए थे और काम हुए तो उन कामों को हम दिखायेंगे तो सही।

श्री अध्यक्षः इनको समय बता दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): और ये जो काम आपके हैं बहुत जल्दी इनकी प्रक्रिया पूरी करके, सत्यापन करा करके इनकी प्रक्रिया पूरी करके समायोजित कर देंगे।

श्री अध्यक्षः ये समय पूछ रहे हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): समय, दो-चार महीने में कर देंगे पूरे। जांच तो करेंगे न हम उनकी।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो या चार महीने? चार महीने बाद में आपके फिर विधान सभा चालू होगी और मेरा प्रश्न यह है कि 9 महीने, 8 महीने यू.सी., सी.सी. चली गई जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने उसको प्रमाणित कर दिया, उसका उपयोगिता सर्टिफिकेट दिया, फोटो दिया उसके बावजूद भी प्रक्रियाधीन है तो यह प्रक्रिया कब पूरी होगी?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हम दो-चार महीने में इसकी पूरी प्रक्रिया करके पूरा करेंगे।

Kas/rtm/08.09.2025/11.30/1d

श्री अध्यक्षः मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। आप भी पूछ लो, साथ में ही दे देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरा तो दे ही नहीं पायेंगे। मैं तो सीधा सा पूछना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने प्रक्रिया का पूछा, प्रक्रिया आप नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ....(व्यवधान).... क्या बताई है, आप बता दो?

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं। मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि जनजाति समुदाय का यह बजट है, उनका पैसा है, पिछले बजट में भी एक हजार करोड़ रुपये दिये थे, उसमें से एक रुपया भी आप खर्च नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष: इसका प्रश्न से क्या सम्बन्ध है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसी का है। साहब, मैं जनजाति विकास कोष 2025-26 की ही बात कर रहा हूं। इसमें सरकार ने एक हजार करोड़ की घोषणा की थी। फिर एक अंग्रेजी अख़बार की रिपोर्ट आई कि एक हजार करोड़ में एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उसमें से कितना खर्च कर दिया, आप यह बता दें? दूसरा, इस साल भी आपने 1500 करोड़ रुपये का बजट दिया है, उसमें कितना खर्च किया, सिम्पल सा यह बता दें?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल में नहीं पूछा, इसमें यूसीसी का मामला है, आपने बजट का नहीं पूछा था। बजट का हिसाब-किताब हमने आपको दे रखा है, इसको पढ़ेंगे, तो इसमें हमने सारा बजट भी दे रखा है कि कितना बजट खर्च हुआ है, कितना नहीं हुआ। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं। ....(व्यवधान).... आपके चार प्रश्न कराऊंगा क्या? ....(व्यवधान).... आप दो पूछ चुके हो। ....(व्यवधान).... नहीं, दो आये हैं। ....(व्यवधान).... सभी के लिये दो का है, विपक्ष का नेता पूछता है, तो तीसरा इनको देता हूं मैं। ....(व्यवधान).... आप बोलिए। ....(व्यवधान).... आप उनको बोलने दीजिए। ....(व्यवधान).... नो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास कोष के तहत 2024-25 में और 2025-26 में 102 कार्यों की राशि 296.40 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ गये हैं। 30:70 के अनुपात में 80 करोड़ रुपये हमको मिले थे, वह पैसे जिन-जिनके प्रस्ताव आये, उनके प्रस्ताव लेकर हमने स्वीकृत कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सोहन लाल नायक।

विजयनगर उपखण्ड में चकबन्दी कार्य

55. श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

क्या विजयनगर (रायसिंह नगर) उपखण्ड के चक गोमावाली, धान्धडा इत्यादि कई गांवों की चकबंदी कार्य पूर्ण कर सूची संख्या -08 सरकार को भेजी जा चुकी है? क्या सरकार उक्त के संबंध में अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री) (श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री) के स्थान पर): तहसील विजयनगर के ग्राम धांधड़ा बारानी तथा गोमावाली बारानी का चकबन्दी कार्य निर्दिष्ठ

संक्रियाओं के तहत अभिलेख कार्य सूची संख्या 01 ता 08 का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.08.2025 को जारी की जा चुकी है। (अधिसूचना दिनांक 21.08.2025 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।)

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान).... हो गया, आपके प्रश्न में मैंने आपको अनुमति दे दी, हो गया। ....(व्यवधान).... मंत्री महोदय देंगे, वही तो सुनना पड़ेगा। ....(व्यवधान).... बैठिए, हो गया। अंकित नहीं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): 000

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आ चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर आ गया, पूरक प्रश्न कर रहे हैं। ....(व्यवधान).... अगला प्रश्न आ गया। आपका एक घंटे में भी नहीं होगा, ऐसे थोड़े ही होता है। दो पूरक प्रश्न आ गये, उत्तर आ गया, विपक्ष के नेता का भी आ गया। ....(व्यवधान).... उनको सुनने दीजिए। ....(व्यवधान).... बैठिए, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठो। उनसे मिल लेना।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन इस बात का नहीं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जो चकबन्दी का मामला था, उसमें डेढ़-पोने दो साल पहले 8 नंबर सूची कलेक्टर के द्वारा सरकार को भिजवाई थी और 21.08 को यह अधिसूचना जारी करते हैं। वहां डेढ़ साल तक किसानों की क्या हालत हुई, सड़कों के मामले में, चक के मामले में उनका आपसी सौहार्द का मामला बिगड़ा, उसका दोषी कौन है?

दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेढ़ साल तक आपने अधिसूचना जारी क्यों नहीं की? इसका जवाब दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि गोमावाली और बारानी का चकबन्दी कार्य जिस तरह से बताया 1 ता 08 का कार्य पूर्ण हो चुका है, यह खुद मानते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा, माननीय सदस्य यह भी मानते हैं कि इसकी अधिसूचना 21 अगस्त, 2025 को जारी हो चुकी है। इनका पूरक प्रश्न है कि डेढ़ साल देरी क्यों हुई और इसके लिये दोषी कौन है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आराम से सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब इनको दे रहे हो क्या? नो, जवाब इधर। जवाब आसन को संबोधित करके दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब इधर ही आ रहा है, गर्दन हिलाई जा रही है, उसका जवाब है, जवाब इधर ही आ रहा है। आप भी मेरी तरफ ही देखें।

श्री अध्यक्षः जवाब सदस्य का है, इनका नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप मेरी तरफ देखें, मैं जवाब दे रहा हूं। एक सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के तहत चकबन्दी की कार्यवाही चलती है, उसके उपरान्त लिस्ट भेजी जाती है, उसका वैरिफिकेशन होता है और ज्यों ही वैरिफिकेशन हो जाता है, तो अधिसूचना जारी हो जाती है। सामान्य प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है, यह पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत यह कार्यवाही हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए मेरे ज्ञान के अनुसार इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई दोष नहीं है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब डेढ़ साल पहले सूची नंबर 8 इनके पास पहुंच चुकी थी और पिछले बजट सत्र से पिछले बजट सत्र में भी मैंने जिला कलेक्टर से पूछा, तो उन्होंने लिखित में मुझे जवाब दिया कि हमको 8 नंबर सूची भेजे हुए बहुत टाइम हो गया और वह सरकार के पास पड़ी है। तो डेढ़ साल का समय इसमें क्यों लगा? इसका जवाब दें आप।

श्री अध्यक्षः यह तो आपने पूछ लिया ना। विराजिए। मंत्री जी, कुछ कहना है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। ज्यों ही जिला कलेक्टर से राजस्थान राज्य को सूची प्राप्त हुई, उसके वैरिफिकेशन की सभी कार्यवाही कर यथा संभव शीघ्र ही जारी कर दी है, कोई विलंब नहीं है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद

56. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाईमाधोपुर में राजफैड एवं अन्य सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन-किन जिन्सों की कितनी-कितनी मात्रा में खरीद की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में प्रत्येक जिन्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि लक्ष्य के अनुसार खरीद की गई है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ? यदि नहीं, तो लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) सवाईमाधोपुर जिले में राजफैड द्वारा रबी 2025-26 में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय की गई जिन्स का विवरण निम्नानुसार हैः-

जिन्स	खरीद मात्रा (क्वि. में)
सरसों	1034.50

चना	8166.00

(2) प्रदेश में रबी 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की गई जिन्सों का भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया थाः-

जिन्स	लक्ष्य मात्रा (मै. टन में)
सरसों	1322360.00
चना	546255.00

(3) प्रदेश में रबी 2025 में राजफैड द्वारा लक्ष्यों के विरुद्ध की गई खरीद का विवरण निम्नानुसार हैः-

जिन्स	लक्ष्य (मात्रा मै. टन में)	क्रय की गई जिन्स (मात्रा मै. टन में)	प्राप्त लक्ष्य (प्रतिशत में)
सरसों	1322360.00	70107.35	5.30
चना	546255.00	54336.04	9.94

रबी 2025-26 में बाजार भाव समर्थन मूल्य की दर से अधिक होने के कारण किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत जिन्स विक्रय नहीं की गई है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे यह तीन सवाल किये थे कि जिला सवाईमाधोपुर में एमएसपी पर आपने चने और सरसों की कितनी खरीद की? प्रदेश में प्रत्येक जिंस का एमएसपी पर खरीद का क्या लक्ष्य था? तीसरा सवाल था कि कितना प्रतिशत लक्ष्य आपका पूरा हुआ है? आपने जवाब दिया पूरे सवाईमाधोपुर जिले में, जिसमें गंगापुर बहुत बड़ी मंडी है, उसमें आपने सरसों की मात्र 1034 क्विंटल की खरीद की है।

श्री अध्यक्ष: यह तो लिखा हुआ है, आप तो प्रश्न पूछो इनसे आगे।

श्री रामकेश (गंगापुर): यह फीगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह उनको पढ़ना पड़ता, मैं बता रहा हूं आपको। आपका सरसों का लक्ष्य था 13,22,360 मैट्रिक टन। यह आपको एमएसपी पर खरीदना था, आपने इसमें से केवल 70,107 टन खरीदा। इसी तरीके से चने में आपको 54, 62,000 मैट्रिक टन खरीदना था, इसमें से आपने 9 परसेंट खरीदा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): और सरसों का खरीदा 5.30 प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष: यह तो लिखा हुआ है, आप प्रश्न पूछो ना कि कम क्यों लिया, क्या हुआ?

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह फिगर इसलिए रख रहा हूं कि सरकार 100 परसेंट के अगेंस्ट में 5 परसेंट की एमएसपी पर खरीद कर रही है। इसी तरीके से चने में भी खरीद कर रही है। बाजरे का फीगर आपने दिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आप प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि संकल्प पत्र में सरकार ने बहुत बड़े वादे किये थे कि पूरे प्रदेश में बाजरे की एमएसपी पर खरीद करेंगे। आपने एमएसपी पर एक

क्विंटल भी बाजरा नहीं खरीदा। जो आपने सरसों में खरीद की है, यह केवल ऊँट के मुंह में जीरा है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो वादे किये थे, उन वादों को सरकार पूरा करना चाहती है या नहीं करना चाहती?

Msk/rtm/08.09.25/1140/1e

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपने जिंस विक्रय नहीं करने का कहा है कि साहब काश्तकारों ने बेचा नहीं।

श्री अध्यक्षः भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी। प्रश्न पूछें और उत्तर पायें।

एक माननीय सदस्यः मंत्री जी से जवाबतो दिलायें साहब। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जवाब तो मंत्री जी देंगे। आप भी थे, मैं आपका भी सुनता था, इनके भी सुन रहा हूं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): स्पीकर साहब, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं किकांग्रेस के पिछले राज में बाजरे का एक दाना भी एमएसपी पर नहीं खरीदा था। ...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, बीच में बात आयी है। एमएसपी पर बाजरा खरीदने की संकल्प-पत्र में बीजेपी ने घोषणा की थी और यह पूरे प्रदेश में किया था कि हम पूरे बाजरे की खरीद करेंगे।

श्री अध्यक्षः उत्तर आने दीजिये। उत्तर तो नियमों से आता है, अपना भाषण रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, दोनों पक्ष नहीं होंगे।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार किसानों से, जो भी उनकी उपज है, उनको समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभाग से पूरा प्रयास किया जाता है। जो भी स्थानीय मांग होती है, उसके आधार पर हम समर्थन मूल्य के खरीद-केन्द्र खोलते हैं। खरीद-केन्द्र में किसी भी काश्तकार को कोई परेशानी नहीं आये तो हम उसको तारीख भी देते हैं, जिस तारीख पर वे आकर अपनी जिंस बेच सकता है। काश्तकारों को उनकी उपज का सही समय पर उनको भुगतान हो, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास करते हैं कि समयबद्ध तरीके से उनको उपज का मूल्य मिले। माननीय सदस्य महोदय का कहना है कि यह खरीद कम क्यों हुई? इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूंगा कि लक्ष्य के मुताबिक अगर खरीद नहीं हो पाती है तो बाजार मूल्य के कम्पेअर में अगर समर्थन मूल्य कम होता है तो किसान स्वतंत्र है। अपनी उपज के दाम अगर उसको दूसरी जगह पर ठीक मिलते हैं तो निश्चित रूप से वह दूसरी जगह पर बेचने के लिए स्वतंत्र है और वह बेचता है। इसी वजह से पिछली बार समर्थन मूल्य पर आप खरीद की बात करेंगे तो 2024-25 में हमने मूंगफली और मूंग की खरीद की थी, वह पिछले लक्ष्य से भी ज्यादा

खरीदने का काम 2025-25 में हमारी सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्षः दूसरा।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो खरीद शुरू की, आपने 10 अप्रेल को एमएसपी पर खरीदना शुरू किया। 10 अप्रेल तक सरसों की मैक्सिमम पैदावार है, जो कि बिक जाती है। मार्च में 5200-5300 में पूरी सरसों किसानों से निकल गयी और सरकार ने 10 अप्रेल को एमएसपी पर खरीदना चालू किया। मेरा आपसे आग्रह है कि क्या आप आने वाले समय में समय पर सरकार एमएसपी पर खरीदना चालू करेगी। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, सवाई माधोपुर से हैं और मैंने सवाई माधोपुर का ही प्रश्न लगाया है।

श्री अध्यक्षः उत्तर आने दें।

श्री रामकेश (गंगापुर): कृषि मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप तो किसानों के मसीहा हो..

श्री अध्यक्षः यह भाषण अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री अध्यक्षः केवल प्रश्न पूछें। बैठिये, माननीय सदस्य। आपने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर आने दें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय को शंका है कि हमने खरीद लेट शुरू की। लेकिन हमने हमारे हर जिला कार्यालय पर प्रचार-प्रसार के लिए सभी जगह पर होर्डिंग्स लगाये थे कि इतने समय में.. हमने पंजीयन मार्च में चालू करवा दिया था। पंजीयन होने के बाद खरीद प्रारंभ की जाती है तो हमने समय पर अपनी खरीद प्रारंभ कर दी थी और फिर भी जब कभी डिमांड आती है तो हम उसको पूर्व में भी करते हैं। अगले साल अगर डिमांड पहले आ जायेगी तो अगले साल जल्दी करवाने का काम हम करवायेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एकदम छोटा-सा है। क्या सरकार ने बाजरे और ज्वार की एमएसपी पर खरीद करने की पहले ही घोषणा की थी, अपने संकल्प-पत्र में वादा किया था तो कब तक पूरा करेंगे? बस, छोटा-सा है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि कोई भी खरीद होती है, जो कि नीचे डिमांड के आधार पर उसकी खरीद की जाती है। अभी नीचे बाजार में बाजरे की डिमांड नहीं है, इसलिए सरकार ने इस साल खरीद प्रारंभ नहीं की है। जब डिमांड होगी तो सरकार निश्चित रूप से उसको खरीदने का काम करेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री विक्रम सिंह जांखल। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो, सरसों भी आपने 5 परसेंट खरीदी है, बाजरा भी 5 परसेंट आ जायेगा। आप खरीद तो शुरू करें। मैंने तारीख पूछी है कि खरीद शुरू करेंगे या नहीं? सिम्पल सी बात है।

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया। श्री विक्रम सिंह।

नवलगढ़ में लंबित कनेक्शन

57. श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक कृषि कनेक्शन के कितने आवेदन लंबित थे? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2024 से माह जुलाई, 2025 तक प्रदेश में कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक कृषि कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लंबित थे तथा दिनांक 01 जनवरी, 2024 के पश्चात कितने आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये? शेष आवेदकों को कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बिजली का बढ़िया प्रश्न है।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2023 तक लंबित कृषि कनेक्शन आवेदनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) 1 जनवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में 1 लाख 59 हजार 29 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) लंबित जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनो के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

अन्य योजनाओं (बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना इत्यादि) के मांगपत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी कर कृषि कनेक्शन वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

सामान्य योजना में सामान्य श्रेणी के 22.02.2022 के पश्चात के लंबित पंजीकृत आवेदकों के मांगपत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कट ऑफ डेट के अनुसार जारी किये जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति-2017 बिन्दु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम-'ए' एवं 'सी' योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशन, जहां कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित एवं प्रचालित (Commissioned) किये जा चुके हैं एवं भविष्य में भी 33/11 केवी सब-स्टेशनों पर कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्र Commissioned किये जाने हैं, ऐसे कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों के Commissioned होने के पश्चात, इन सब-स्टेशनों पर लम्बित सभी कृषि कनेक्शन जिनके मांगपत्र जमा/आवेदित हैं, वहां

कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

ROE-299 आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 1486 जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 674 आवेदन मांगपत्र जारी करने हेतु लंबित थे। दिनांक 01 जनवरी, 2024 के पश्चात 31 अगस्त, 2025 तक कुल 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये। शेष लंबित जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनो के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया हैं। विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध हैं। शेष बिंदु संख्या 3 के अनुसार।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रदेश में 1 लाख 69 हजार 20 कनेक्शन, बहुत बड़ा आंकड़ा है, पूरा किया।

श्री अध्यक्षः सीधा प्रश्न पूछो।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): नवलगढ़ विधान सभा में 31 दिसम्बर, 2023 तक 1429 कनेक्शन पैंडिंग थे, बाद में 720 और किसानों ने फाइल दी। आप लोगों ने वह पूरा करते हुए 1883 कनेक्शन किये, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, पर इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें, निवेदन नहीं।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): मैं इनके जवाब से पूरा संतुष्ट हूं। नवलगढ़ विधान सभा में एक लाइन जा रही है। आपको तत्काल उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान परेशान है, मुआवजा के लिए धरना-प्रदर्शन चल रहा है। इतना ही है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 58

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ के 'गोरा बादल' स्टेडियम में पूर्ण उपलब्ध सुविधाएं

59. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 'गोरा बादल' स्टेडियम में किस-किस प्रकार के खेल तथा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्टेडियम का पूर्ण निर्माण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव बनाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्टेडियम की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

mdp/rtm/08.09.25/11:50/1f

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल स्टेडियम स्थित है, जो नगर परिषद चितौडगढ के स्वामित्व मे आता है। वर्तमान में इसमें कोई खेल गतिविधि संचालित नहीं की जा रही है।

जिला मुख्यालय पर इन्दिरा गांधी खेल स्टेडियम निर्मित है, जिसमें युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा संचालित खेल एवं खिलाडियों की ट्रेनिंग सुविधाओं की सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए निविदा आंमत्रित की गई थी। जिसमे परिषद द्वारा संवेदक के माध्यम से 40 प्रतिशत रेनोवेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा उक्त शेष कार्य को करवाये जाने हेतु हिन्दुस्तान जिंक से एमओयू की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

अध्यक्ष महोदय, ये पूरा प्रश्न विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अन्दर गोरा बादल स्टेडियम के ऊपर है। इसका स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़ के पास है। हमने उन्हीं से उत्तर मांगा। अभी उस पर रिपेयर चल रही है। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पर रिपेयर हो रही है और 40 प्रतिशत रेनोवेशन वहां पर हो गया है। सी.एस.आर. से उसको कम्प्लीट करने के लिए हिन्दुस्तान जिंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अन्दर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहां पर निर्मित है, जहां पर बास्केटबॉल, खो-खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग अनेकों वहां पर खेल हो रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम शहर के बीचोबीच है। आनन-फानन में टेंडर किये या नहीं किये, डी.एम.एफ.टी. फंड से पहले ये काम इश्यु करवा दिया। डी.एम.एफ.टी. फंड से फिर वापस नगर पालिका को कहा कि नगर पालिका काम करवा दे। बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर के काम करवाने के बाद पूरा बीचोबीच वहां फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहां वालीबॉल का अच्छा मैदान है, वर्षों से वहां बच्चे खेलते हैं। पिछले ढाई साल से चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहां कांग्रेस के नेताओं ने वाहवाही करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): न तो वह काम हुआ, अभी हमने हिन्दुस्तान जिंक से बात की, परंतु वह काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के

गलत टेंडर किये हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? जो चुनाव आते ही इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते हैं और फील्ड को तहस-नहस कर देते हैं। मेरे वहां नेताओं ने उस फील्ड को तहस-नहस कर दिया है। उस फील्ड का बजट आप कहां से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, वह आप बताइए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम, खेल ग्राउण्ड का जो स्वामित्व है, वह एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, यूडीएच के पास भी है।

श्री अध्यक्षः आप सक्षम हैं, इसलिए आपके पास आते हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम जी के पास आते हैं, सहकारी समितियों के पास आते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खेल तो कइयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): खिलाड़ी आप भी कम नहीं हो। इधर खेल खेला है आपने।

श्री अध्यक्षः विराजिए। आप दोनों की दोस्ती अच्छी हो गयी है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पर मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि विधायक अगर सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडियाकर्मियों के साथ तो वह मैं आयोजन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्षः बरसात खतम हो जाए, करवा देंगे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी मैंने झाबर जी खर्रा से भी बात की है। टेंडर हो गया है। झाबर जी ने अपने एमएलए साहब चन्द्रभान जी का सवाल सुन लिया है। निश्चित रूप से वह इस पर इंक्वायरी करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री सुभाष मील। हो गया आपका, उत्तर आ गया। श्री सुभाष मील।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने गलत टेंडर करवाया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः वह आप राइटिंग में दे दीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मैं ये नहीं कह रहा हूं, काम तो हम करवा देंगे। सी.एस.आर. फंड की कमी नहीं है वहां। हम जिंक से कह देंगे, बिडला से कह देंगे, सरकार, नगरपालिका करवा देगी, यूआईटी करवा देगी।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। अगला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार

लिया है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान जी का है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं ...(व्यवधान)... नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 07/09/21 और 29/04/22 में गोरा बादल स्टेडियम के रेनोवेशन सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जरूर गये और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गयी। तदुपरांत ...(व्यवधान)... संवेदक मैसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ कार्यादेश क्रमांक निर्माण/2022-23/391 दिनांक 02/03/2023 के द्वारा राशि 4 करोड़ 58 लाख 75 हजार 550 रुपये जारी किया जाकर..

श्री अध्यक्ष: आपको तकलीफ क्या है?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 02/03/2024 निर्धारित की गयी। चूंकि स्वीकृति जारी हो गयी, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया था और उसके बाद नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है। अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वह जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष मील।

ग्राम पंचायतों में आवासीय भूमि का विस्तार

60. श्री सुभाष मील (खंडेला): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आवासीय भूमि का विस्तार नहीं हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी वर्षों से लोग ग्राम पंचायत की भूमि पर बसे हुए हैं? यदि हां, क्या सरकार ग्राम पंचायत की भूमि पर बसी हुई आबादी क्षेत्र का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायतीराज मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी नहीं, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार/ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार गुणावगुण के आधार पर आबादी हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बसे लोगों को सरकार समय-समय पर नियमानुसार पट्टे भी जारी कर रही है।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिल गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर समय-समय पर गुणावगुण के आधार पर पट्टे दिये जाते हैं। मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है कि गांव में बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में गोचर भूमि पर बड़ी आबादी बसी हुई है, जो पिछले 70-80 सालों से बसी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सवाल है कि क्या

सरकार पिछले 60-70-80 वर्षों से जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो गांव में ही बसे हुए हैं, उनके सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठा रही है, जिसके माध्यम से उनको पट्टे मिल सके। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में एक निर्णय दिया गया कि आप क्षतिपूर्ति के बदले जमीन की किस्म चेंज नहीं कर सकते। क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखकर उन लाखों लोगों की मदद करने का विचार रखती है, जो गोचर भूमि में बसे हुए हैं? उनमें बड़ी संख्या एस सी/एस टी समुदाय की है। मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न आवासीय से आबादी के सम्बन्ध में है और इस सम्बन्ध में मैंने पूरी जानकारी दी है। गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा देने पर माननीय न्यायालय का प्रतिबंध है। माननीय न्यायालय का आदेश है कि चरागाह में आप किसी प्रकार का पट्टा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अभी तक के नियमों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं दिया जा सकता।

श्री सुभाष मील (खंडेला): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में ग्राम पंचायत आभावास और ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा के गांव भोजपुर में जो लोग बरसों से बसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी है कि नहीं दे सकते। श्री लक्ष्मण।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सर, मेरा निवेदन है, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी है। कोई भी आये, कोई नहीं कर सकते।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय न्यायालय में याचिका लगा रखी है।

श्री अध्यक्ष: पहले आदेश होने दीजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको ...(व्यवधान)... राहत देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: न्यायालय का है। आप बैठिए। श्री लक्ष्मण ...(व्यवधान)... श्री लक्ष्मण, प्रश्न पूछ रहे हैं।

आवासीय विद्यालयों में रिक्त पद

62. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हैं?

(2) प्रदेश में आवासीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में कितने-कितने प्रवेश की क्षमता है? क्या सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) प्रदेश में 31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

(2) विभाग द्वारा 24 आवासीय विद्यालयों एवं 2 मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जिनका जिलेवार विवरण तथा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उक्त विद्यालयों की क्षमता एवं प्रवेशित का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की क्षमता एवं प्रवेशित की विद्यालयवार एवं जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विद्यालयवार तथा श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विद्यालयों में रिक्त पदो को जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा भर्ती की जाकर भरा जाता है।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ चुका है ...(व्यवधान)... मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठिए। अंकित नहीं। प्रश्नकाल में कुछ नहीं।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री लक्ष्मण (बस्सी): 51 आवासीय विद्यालय ...(व्यवधान).. में वेकेन्सीज हैं, उन वेकेन्सीज को कब तक भर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। जनजाति मंत्री जी।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): यदि नहीं भर पाये तो बच्चों की ...(व्यवधान)... शिक्षा ठीक से चल सके, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, आप अपनी सीट पर जाइए। प्रश्न काल में कोई नहीं उठेगा। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): एक बार वापस बोलिए।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या 51 हैं, उनमें 24 परसेंट वेकेन्सीज हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आपने कर लिया, उत्तर तो सुनिए।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): उन वेकेन्सीज को कब तक भर दिया जायेगा। यदि नहीं भर पाये तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों के लिए की जा रही है। ये प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का ये सवाल है कि आवासीय विद्यालय 24 बताए हैं।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): 51 हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 51 नहीं हैं, 24 हैं और दो मॉडल स्कूल हैं। ये 31 हैं। आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, 31 विद्यालय तो ईएमआरएस हैं, जो केन्द्र द्वारा संचालित हैं।

Ans/rtm 12.00 1g 08.09.2025

24 हमारे आवासीय विद्यालय हैं, जो राज्य सरकार देखती है। अध्यक्ष महोदय जी, दो विद्यालय मॉडल पब्लिक रेजीडेंस स्कूल है। केन्द्र के जो ईएमआरएस है उनका सारा का सारा स्टाफ लगाना है, अध्यापक लगाने हैं, उनके जो भी शिक्षक लगाने हैं, वह सारी की सारी....

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त, विराजिये।

मैं अपने आगे की कार्यवाही पर जाऊं, मेरा सबसे एक आग्रह है, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए। ...(व्यवधान)... मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्य, आसन पाँव पर है, इतने समझदर हो, अब आपको दो साल होने जा रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि यदि हम पूरक प्रश्न टू दी पांइट पूछेंगे और मंत्री जी भी टू दी पाइंट उत्तर देंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे। सदन में 24 प्रश्न लगते हैं। हम सोचते है कि अधिक उत्तर आये, आप इतने परिश्रम से उत्तर मंगवाते हो। इसलिये मेरा सबसे आग्रह है कि भविष्य में हम दोनों पक्ष इसका ध्यान रखेंगे तो जनता का उत्तर जल्दी आयेगा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आसन पाँवों पर खड़ा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बाद में, इसके बाद ...(व्यवधान)... फिर बोल रहे हो। व्यवस्था दे दूं उसके बाद। व्यवस्था दे दूं। ...(व्यवधान)... आप वरिष्ठ लोग ही बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मेरे लिये काम करना कठिन होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के संबंध में।

2. श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में।

3. श्री रामनिवास गावड़िया, सदस्य की ओर से परबतसर में आयोजित राजकीय पशु मेले में गम्भीर परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से ड्यूटी के दौरान गम्भीर विद्युत दुर्घटना के शिकार कनिष्ठ अभियंता का वेतन रोकने एवं अग्रिम सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के

संबंध में।

5. श्री लक्ष्मण, सदस्य की ओर से प्रदेश में रासायनिक खाद एवं उन्नत बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर नहर का पुनर्निमाण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के मुरब्बाबंदी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित लाल डूंगरी कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कतिपय ग्रामों का विद्युत डिस्कॉम कार्यालय छापर के स्थान पर सुजानगढ़ ग्रामीण किये जाने के संबंध में।

12. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से खैरथल-तिजारा के जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में।

13. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अनुसूचित क्षेत्र के 75 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री दीनदयाल, सदस्य की ओर से दौसा शहर के आबादी क्षेत्र में संचालित ज्वलनशील गैस गोदामों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू ज़िले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17.श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ में बीमा कम्पनियों द्वारा क्लेम सैटलमेंट में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18. श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

20. श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं से जुड़े प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

22. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ ज़िले में धान की सरकारी खरीद नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

23. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री समरजीत सिंह, डॉ. शिखा मील बराला, श्री गणेशराज बंसल एवं श्री सुरेश मोदी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में बिलानाम भूमि के खातेदारी अधिकार कृषकों को दिये जाने के संबंध में।

2. श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से बारां ज़िले में अतिवृष्टि से नष्ट फ़सलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

3. श्री धर्मपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

4. श्री लालाराम बैरवा, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा-आगुचा माइंस द्वारा भूमिगत जल को खराब करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री संजय कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के मुख्यालय बसेड़ी पर बस स्टेण्ड का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

6. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से मुण्डावर तहसील के कतिपय गाँवों की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करवाये जाने के संबंध में।

7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना आर.डी 134 देवानिया-नाथड़ाऊ से शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को लाभान्वित करने के संबंध में।

8. श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा शहर में आ रही बाढ़ के स्थाई समाधान एवं प्रभावितों को सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

9. श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुरानी सड़कों को हटाये बिना ही उन पर नवीन सड़कों का निर्माण करने से आमजन को हो रही परेशानी के

संबंध में।

10. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता के संबध में।

11. श्री लादुलाल पितलिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में अन्तरजातीय एवं प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति का प्रावधान किये जाने के संबंध में।

12. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में डिग्गियों एवं फार्म पौण्ड के लम्बित अनुदान का भुगतान करवाये जाने के संबंध में।

13. श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से बून्दी ज़िले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के संबंध में।

14. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से बारां ज़िले में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

15. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल), सदस्य की ओर से हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 08 सितम्बर, 2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 62 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री घनश्याम	विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अतिवृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फ़सलों की गिरदावरी कराकर उचित मुआवज़ा दिलवाने बाबत।
2.	श्री ललित मीना	विधानसभा क्षेत्र किशनगंज- शाहाबाद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी अंचल के जंगल से अवैध रूप से खैर, बबूल एवं सागवान की कटाई के संबंध में।
3.	श्री देवेन्द्र जोशी	भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके विस्थापित भाई-बहनों के सरकारी प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में।
4.	श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)	राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनुं का भौतिक ढांचा निर्माण करने एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने के सम्बन्ध में।

श्री समरजीत सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बजरी माफियाओं से जुडे प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच एजेंसियों द्वारा सहयोग का अभाव

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर मेरा प्रस्ताव था कि अवैध बजरी खनन माफियाओं के कारण पूरे राजस्थान, विशेष तौर से जालौर जिला, जहां से मैं आता हूं, इतना जबरदस्त आतंक कह सकता हूं मैं इसको, इस आतंक की वजह से प्रदेश भर में बजरी चोरी खुले तौर पर चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पर चल रहा है और उस पर किसी तरह से कोई रोक नहीं है, लगाम नहीं है। मैं तो खुले तौर पर कहता हूं कि इसमें पुलिस एवं प्रशासन, अच्छे लोग भी है पुलिस एवं प्रशासन में, परन्तु इतने खुले तौर पर इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब है।

VPS-RTM-08.09.2025-12.10-1h

आज जालौर जिले में आपने देखा होगा कि अभी नदी आयी और नदी के आते ही इतने विशाल खड्डे वहां पर बन गये हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अपनी सीट पर बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): उन खड्डों के अन्दर जगह-जगह पर मौतें हुई हैं। छह लोग तो हमारे मुख्य सचेतकजी के एरिया में ही डूबकर मर गये और वे एक ही साथ एक ही परिवार के लोग थे तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पर इन बजरी माफियाओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की है। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज तो एक ही होती है और खोदते कहीं पर है और स्टॉक कहीं पर भी कर लेते हैं तो ये हालात हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वह एक ट्रैक्टर बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। यहां तक हालात हैं कि अगर कोई खेत में, ज्यादातर यहां पर किसान वर्ग के लोग आते हैं अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है तो उसका भी चालान कर दिया जाता है और एक ट्रैक्टर का चालान लाख-सवा लाख रुपये से नीचे का नहीं होता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाये। मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि इसके अन्दर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस में इस तरह के लोग भी बैठे हैं जिनको शायद समय पर सैलरी नहीं मिलती होगी पर हफ्ते टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन्हें सैलरी की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इस तरह के माफियाओं को पनपाया जा रहा है।

मैं आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि इसका पता लगाया जाये। पहले हम माफियाओं की बात करते थे कि राजस्थान स्तर के माफिया होंगे पर अब तो हर जिले में, हर एरिये में ये माफिया हो गये और इन माफियाओं को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी

गांव में चले जाए, उनके पास दस-दस जे.सी.बी. खड़ी है, दस-दस ट्रैक्टर खड़े हैं, उनके डम्पर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अधिकारी भी जाकर एक किसान के ट्रैक्टर को जो कि यहां से वहां पर जा रहा होता है तो उसको पकड़कर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये और इस पर लगाम लगायी जाये। सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए। इस तरह से अगर किसान ही परेशान हो जायेगा, आम आदमी ही परेशान हो जायेगा तो क्या होगा? हालात यहां तक खराब है कि अगर हमें बजरी चाहिए या मिट्टी चाहिए तो हम खुद के ट्रैक्टर से नहीं लाएंगे, हम किसी माफिया को फोन करते हैं कि भिजवा देना तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डॉ. शिखा मील बराला।

प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव, नियम 50 के अंतर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया।

भा.ज.पा. सरकार जब सत्ता में आयी थी तो भा.ज.पा. सरकार का, भा.ज.पा. का एक नारा था कि- 'नहीं सहेगा राजस्थान', पर मुझे यह लगता है कि पिछले पौने दो साल की जो कार्य प्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि- 'अब हमसे नहीं सम्भलेगा राजस्थान', क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता है।

राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है उसका सिर शर्म से झुक गया, हम सभी को शर्मसार होना पडा जब हाल ही में NARI की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए और यह जो रिपोर्ट है यह लांच की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दु:ख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है। गैंग रेप हो रहे हैं। विदेशी महिला ट्यूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। घरों में घुस कर चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इससे ज्यादा शर्म करने वाली कोई बात नहीं होगी हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। ऐसे जो गम्भीर अपराध हैं, वह ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, दलित है, उनके खिलाफ हो रहे हैं।

हम राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाएं, बांसवाड़ा में हाल ही में हुआ गैंग रेप, उदयपुर, बीकानेर, करौली, बगरू और मैं मेरे चौमूं की ही बात करूं, किसान जिसकी फसलें

बरबाद हो रही है, उसके खेतों में चोरियां हो रही हैं। लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो या चाहे महिलाओं को निराधार तौर पर थाने में ले जाने की बात हो, पुलिस प्रशासन बहुत ही असंवेदनशील नजर आता है। खास बात तो यह है कि जब राजस्थान की एक महिला आला अधिकारी वे ही सुरक्षित नहीं हैं, उन पर भी बिना विधिपूर्वक सर्विलांस की जाती है तो एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती।

प्रदेश के 37 वन स्टॉप सेंटर्स पर 15 हजार महिलाएं पिछले दो साल में पहुंचीं पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं, वे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पायी हैं। +++ मानव तस्करी के आरोप उन पर लगे तो यह हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिला नीति, 2021 को लागू किया था, मंजूरी दी थी, पर भा.ज.पा. सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है।

रक्षाबंधन के नाम पर बिड़ला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करके इतिश्री करने से काफी नहीं होगा। अपराधियों में कानून का डर दिखायी देना जरूरी है और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती वह कभी भी कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जय हिंद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेशराज बंसल।

हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने नियम 50, स्थगन प्रस्ताव पर सदन के समक्ष हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ क्षेत्र राजस्थान में धान की अधिकतम पैदावार करने वाला क्षेत्र है। वर्तमान में धान की खेती अपने पकाव पर है और जल्द ही फसल आने वाली है। हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में गत वर्ष 15 लाख क्विंटल से अधिक परमल और बासमती धान की आवक हुई थी और इस वर्ष भी अच्छी आवक होने की उम्मीद है। राजस्थान राज्य का वह धान का कटोरा है जो कि भरपूर धान पैदा कर रहा है और हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों द्वारा धान की सरकारी खरीद किये जाने की निरंतर मांग की जा रही है। यदि सरकारी खरीद समय पर शुरू नहीं की जाती है तो किसानों को फसल खुले बाजार में बेचनी पड़ेगी और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा। यह भी निवेदन है कि सरकारी खरीद नहीं किये जाने से फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा। सरकार की योजनाएं यदि जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरत से सामंजस्य बनाए बिना लागू की जाएंगी तो ऐसी योजनाओं का न तो अन्तिम छोर पर लाभ पहुंच पायेगा और न ही सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास रह पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिए कि सरकारी योजनाएं सिर्फ रिपोर्ट तक ही सीमित न रहें बल्कि सपोर्ट सिस्टम बनकर आमजन को लाभान्वित करें। किसान समृद्ध रहेगा तब ही

तो हमारा राजस्थान सुदृढ़ रहेगा। जय हिन्द। जय भारत। जय किसान।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश मोदी।

नीम का थाना में हत्या प्रकरण

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान में कानून-व्यवस्था की कैसी स्थिति चल रही है, यह अनेक वक्ता यहां पर बता रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो बातें आपको बताना चाहूंगा।

अजय पुत्र रामसहाय बलाई निवासी मावंडा खुर्द का दिनांक 23.04.2025 को फाटक नम्बर 95/11 के पास शव मिला। परिवार के लोगों के अनुसार इस सैनिक पुत्र और दलित परिवार के व्यक्ति की हत्या को, शव को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है और बहुत सारे उसके साथ सबूत उन्होंने दिये हैं। एक महत्वपूर्ण सबूत मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि उस व्यक्ति का स्वयं का ऑडियो है, जिसमें वह व्यक्ति स्वयं यह कह रहा है, अपराध कबूल कर रहा है कि मैंने इस व्यक्ति की हत्या की है और किस प्रकार से मैं किस समय, किस समय किस साधन से उस गाड़ी, राजा नाम की गाड़ी से उसके घर पर गया, उसको बेहोश करके लेकर आया और मेरे आँगन में अभी भी माउजर, हथियार दबा हुआ है और मैं हमेशा इस तरह के काम करता रहता हूं। किस तरह मैं उसको रेलवे पटरी के पास ले गया, किस तरह से मैंने उसके साथ और अनैतिक कार्य किये, मेरे साथ कौन-कौन व्यक्ति थे, यह सारा वह अपने ऑडियो में कबूल कर रहा है। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्यवाही पुलिस उस पर नहीं कर रही है। पिछले बीस दिन से परिवार के लोग ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): और सभी समाज के लोग धरना दे रहे हैं। नीम का थाना में धरना दे रहे हैं। मेरा गृह, राज्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सदन में ये घोषणा करें कि वह आई.ओ., जो जांच अधिकारी है, उसको बदला जायेगा और अन्य सक्षम जांच अधिकारी से उसकी जांच करवायी जायेगी। इसी तरह की एक और घटना का मैं जिक्र करता हूं।

ssy/rtm/08.09.2025/12.20/1j

श्री अध्यक्षः एक ही घटना का आपने दे दिया।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मारपीट कर कुएं में डाल दिया गया।

श्री अध्यक्षः श्री फूल सिंह मीणा।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अमित वर्मा नाम के व्यक्ति को।

श्री अध्यक्षः 295 है। विराजो, आपका विषय आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, एक मिनट मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)... आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: आपका विषय आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभी माननीय सदस्यों ने बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा करायें और सरकार से जवाब दिलायें कि पूरे राजस्थान के अन्दर माफियाओं का कानून चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आज बीएसी की मीटिंग है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार से जवाब दिलाओ ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: आज बीएसी की मीटिंग है, उसमें आप अपने बिन्दु रख देना ...(व्यवधान)... आज बीएसी की मीटिंग है आप अपने विचार रख देना ...(व्यवधान)... बीएसी की मीटिंग में चर्चा होगी। बीएसी की मीटिंग में करेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा। श्री फूल सिंह मीणा।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में बिलानाम भूमि के कृषकों को खातेदारी अधिकार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र के अंदर बिलानाम जमीन, जो पहले बंजर पड़ी हुई थी, गरीब आदिवासी किसान अपनी मेहनत और श्रम से उपजाऊ बनाकर खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने इस जमीन का पहला अलॉटमेंट वर्ष 2006 में किया था, किन्तु उसके बाद आज तक किसी भी अन्य किसान को अलॉटमेंट प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण गरीब किसान अपनी मेहनत का कानूनी लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उनका अधिकार सुरक्षित नहीं है। साथ ही, जब यूडीए या यूआईटी द्वारा क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, तो सारी जमीन एक ही आदेश के तहत बिलानाम, चरागाह या चरगोट के रूप में यूडीए, यूआईटी के खाते में चली जाती है, जिससे गरीब किसानों का वास्तविक अधिकार छिनने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइये ...(व्यवधान)... अपने स्थान पर जाइये ...(व्यवधान)... 295 आप लोगों का भी है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गरीब आदिवासी किसानों को उचित अलॉटमेंट प्रदान किया जाए और उनकी खातेदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी मेहनत का फल सुरक्षित रहे और उनका अधिकार संरक्षित

हो सके।

श्री अध्यक्षः बीएसी की मीटिंग में कह देंगे ...(व्यवधान)... श्री राधेश्याम बैरवा। श्री राधेश्याम बैरवा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

बारां में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का सर्वे व मुआवजा

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि बारां जिले के विभिन्न भागों में हुई अत्यधिक वर्षा, जल भराव और तेज हवाओं के कारण किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, मक्का आदि अत्यधिक वर्षा से जलमग्न होकर चौपट हो गई हैं। कई स्थानों पर तो खेतों में इतना अधिक पानी भर गया कि फसलें पूरी तरह गल-सड़ गईं।

यह स्थिति किसानों के लिए गहरी आर्थिक विपत्ति लेकर आई है। अधिकांश किसान पहले से ही बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेकर खेती कर रहे थे अब जब फसल ही बर्बाद हो गई है, तो उनके सामने ऋण चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों के समक्ष यह स्थिति "आर्थिक आपातकाल" जैसी हो गई है। ऐसे कठिन समय में सरकार तुरन्त प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों की वास्तविक हानि का आंकलन करे और उन्हें शीघ्र आर्थिक राहत उपलब्ध कराये।

इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर प्रत्येक गांव और किसान की वास्तविक फसल क्षति का त्वरित सर्वे कराया जाये और फसल बीमा योजना तथा सरकार की राहत योजनाओं के तहत किसानों को उचित मुआवजा समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाये।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः श्री धर्मपाल। श्री धर्मपाल।

खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्राम पंचायत जसरापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से संचालित है। ग्राम पंचायत जसरापुर मेरे विधानसभा क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों, खरखड़ा, तातीजा, मानोता जाटान, लोयल, चारावास, नंगली सलेदी सिंह, बीलवा आदि के मध्य में स्थित है तथा इन सभी ग्राम पंचायतों की आबादी

लगभग पचास हजार से भी अधिक है।

वर्तमान में उपरोक्त ग्राम पंचायतों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा नहीं है, जिससे आमजन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा हेतु आए दिन परेशान होना पड़ता है। उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा हेतु गांवों के मजूदर और किसान वर्ग के गरीब लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर उप जिला अस्पताल खेतड़ी जाना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रवासियों की आवश्यकता और समस्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाया जाये, ताकि क्षेत्र के लोग चिकित्सा सेवा का लाभ ले सके।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः श्री लालाराम बैरवा। श्री लालाराम बैरवा।

श्री संजय कुमार। श्री संजय कुमार।

श्री ललित यादव। श्री ललित यादव।

माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी, आप भी सम्मिलित हो क्या? तो बिराजो ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़। श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना आर.डी 134 देवानिया-नाथड़ाऊ से वंचित ग्रामों एवं ढाणियों का जुड़ाव

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत देवानिया-नाथड़ाऊ परियोजना का कार्य चल रहा है एवं इस परियोजना में पाइप लाइन का सर्वे वर्ष 2019 में किया गया था जिसमें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव एवं ढाणियां सर्वे से वंचित रह गये हैं। वंचित रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को इस परियोजना में जोड़ा जाए।

देवानिया-नाथड़ाऊ परियोजना में कुल 5 हजार किलोमीटर पाइप लाइन थी जो कि अभी रिवीजन सर्वे में 6800 किलोमीटर हो गई है तथा परियोजना की राशि 262.19 करोड़ से 290 करोड़ हो गई है, जिसकी डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली गत 17 माह से स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय में लंबित है। इस पत्रावली को RWSSMB की तकनीकी समिति के समक्ष विचारार्थ के लिए एजेंडा रखने हेतु मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा सचिव RWSSMB को अनुरोध भी किया है। इस स्वीकृति के अभाव में कार्य पूर्ण न होने से योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ जल जीवन मिशन योजना

के तहत वंचित राजस्व ग्राम एवं ढाणियों को जोड़ने हेतु लम्बित डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली की स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

कोटा शहर में बाढ़ के स्थाई समाधान एवं प्रभावितों को सहायता

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि अगस्त माह में अत्यधिक बारिश होने से एवं कोटा बैराज, नवनेरा बाँध के गेट खोलने पर चन्द्रलोई नदी में उफान से कोटा की कई कॉलोनियों, बस्तियों व संभाग के गांव, कस्बों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गये। मोहल्ले एवं गलियों में जल भराव के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कई घरों एवं दुकानों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू करके जान बचायी। लेकिन उनके घरों में रखे हुये सामान व मवेशी बह गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जो खड़े हैं माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया? ...(व्यवधान)...

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): इन इलाकों में बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते है। सौन्दर्यकरण के नाम पर केडीए द्वारा बरसाती नालों को ढक दिया गया है। इन नालों की समय पर सफाई नहीं होती। यहा तक की सफाई पर प्रति वर्ष लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

बाढ़ पीडितों के पुनर्वास में आपदा नियमों में मुआवजे की राशि निर्धारित है। फसलें, मकान, दुकान पर रखे हुए सामान के खराबे पर मुश्किल से सहायता राशि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। विभागीय सर्वे में विलम्ब के कारण पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

एसडीआरएफ नियमों में मुआवजा राशि बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाने एवं कोटा में प्रति वर्ष बाढ़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल पैकेज का सर्वे कराकर पीडितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान विशेष उल्लेख से आकर्षित कर रही हूँ।

spp/rtm/08.09.2025/12.30/1k

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री बालमुकुन्दाचार्य।

जयपुर के परकोटा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों को हटाये बिना ही नवीन सड़कों का निर्माण

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि जयपुर शहर (परकोटा) में नगर निगम

एवं जेडीए द्वारा बनाई जा रही नवीन सड़कों के निर्माण के समय वहां पूर्व में निर्मित सड़कों के मलबे को हटाये बिना ही नवीन सड़कों के निर्माण से वहां बने मकानों का लेवल सड़क से नीचे होने से सीवरेज एवं बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। नियमानुसार पूर्व में निर्मित पुरानी जर्जर सड़क को उखाड़कर ही नवीन सड़क का निर्माण किया जा सकता है, किन्तु विभागीय अधिकारियों एवं संवेदकों की मिलीभगत से बिना पुरानी सड़क का मलबा हटाये उसी के ऊपर ही दूसरी सड़क बना देते हैं। महोदय, आजकल अधिकांश जगह सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसकी मोटाई 12 इंच से 15 इंच तक होती है। दस पन्द्रह सालों में ही दो तीन बार सड़क का निर्माण होने से वहां निर्मित समस्त मकान एवं दुकान सड़क से नीचे हो जाते हैं और बारिश के दिनों में स्थिति भयावह हो जाती है घरों और दुकानों में पानी भरने की इस समस्या का स्थाई समाधान न होने के कारण कई लोग चारदीवारी क्षेत्र से पलायन को मजबूर हो रहे हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस जनहित के मुद्दे की गहनता से जांच कर सड़क निर्माण में बरती जा रही इस कोताही की तरफ ध्यान देकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करें। महोदय, मेरा निवेदन है। ..(व्यवधान)..

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: बी.ए.सी.की मीटिंग में बात करेंगे। माननीय सदस्य, 295 में केवल लिखा हुआ बोलते हैं केवल। डॉ. सुभाष गर्ग। ..(व्यवधान).. नहीं देना, मना हो गया।

भरतपुर में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि भरतपुर एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का केन्द्र है। यहां नेशनल केवलादेव घना वर्ड सेंचुरी स्थित है। भरतपुर को परिवहन की दृष्टि से विकसित करने तथा जेवर एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, मथुरा-वृन्दावन आदि से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिये ऊंचा नगला NH-123 एवं NH-21 के क्रोसिंग से एक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन एक्सप्रेस-वे की आवश्यकता है, जोकि NH-44 एवं NH-123 को जोड़ते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे को कनेक्ट करेगी।

मैं, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करता हूं कि पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में स्थापित भरतपुर को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने से न केवल भरतपुर बल्कि मथुरा, वृन्दावन, आगरा, गोवर्धन आदि धार्मिक स्थल भी लाभान्वित हो सकेंगे तथा व्यापार, उद्योग एवं कृषि को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी से भी व्यक्तिशः पत्र देकर मांग की गई थी। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को एक सौगात दें। धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल पितलिया।

श्री संजीव कुमार।

हनुमानगढ़ में डिग्गियों एवं फार्म पोण्ड के लम्बित अनुदानों का भुगतान

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत किसानों के खेतों में डिग्गी निर्माण किया जाता है। खेतों में डिग्गी निर्माण से सिंचाई पानी की बचत होती है। साथ ही स्टोरेज किये गये पानी का भी सदुपयोग होता है। बरसात के मौसम में सिंचाई पानी की बारी का पानी डिग्गी में स्टोरेज किया जा सकता है जिससे किसान अपने खेतों में आवश्यकतानुसार सिंचाई कर सकते हैं। समय पर सिंचाई होने से फसलों का उत्पादन भी ज्यादा होता है इसलिए किसानों का डिग्गी निर्माण के प्रति रुझान बढ़ा है।

हनुमानगढ़ जिले में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत डिग्गी बनाने वाले किसानों को अभी तक अनुदान का भुगतान नहीं होने से कृषकों को आर्थिक के साथ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग की हनुमानगढ़ जिले में कुल निर्मित 828 कृषकों की डिग्गियों का 25 करोड़ रू. का अनुदान बजट अभाव के कारण लम्बित है एवं करीब 56 फार्म पोण्ड का लगभग 56 लाख रू. का अनुदान का भुगतान बकाया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त् किसानों द्वारा खुदाई की गयी डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से भी जिले में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: निवेदन है कि जिले की कृषि विभाग की अनुदानित डिग्गियों एवं फार्म पोण्ड़ के लम्बित अनुदान का शीघ्र भुगतान करवाने तथा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् किसानों द्वारा खोदी गयी कच्ची डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी। (अनुपस्थित) श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

बारां में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ दुर्व्यवहार

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मानव जीवन की रक्षा हेतु रक्तदान को सबसे पवित्र मानवीय कार्य माना जाता है। रक्तदान शिविरों के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को जीवन मिलता है, किंतु अत्यंत खेदजनक स्थिति यह है कि बारां जिले में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में कुछ कार्मिक अपनी स्वार्थसिद्धि एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इस कार्य को दूषित कर रहे हैं। गत 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद, छीपाबड़ौद द्वारा 43वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 1847 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। बारां जिले के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत रक्तदान प्रभारी तथा बारां-झालावाड़ जिले के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा परिषद पदाधिकारियों

को धमकाया गया कि शिविर में केवल राजकीय ब्लड बैंक को ही बुलाया जा सकता है। यदि अन्य निजी ब्लड बैंक संस्था को आमंत्रित किया जाता है तो प्रति यूनिट रक्त पर 20 प्रतिशत राशि उन्हें उपलब्ध करानी होगी। मांग पूरी न करने की स्थिति में शिविर लगाने की अनुमति तक नहीं दी जाती। यह तरीका न केवल अमानवीय है बल्कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है। इतना ही नहीं, जब परिषद् के पदाधिकारी या समाजसेवी क्षेत्रवासियों की आवश्यकता पर रक्त की मांग करते हैं तो उन्हें भी जानबूझकर टाल दिया जाता है अथवा उपलब्ध नहीं कराया जाता। रक्त जैसी अति आवश्यक वस्तु को व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच की पूर्ति के लिए रोके रखना गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और जनविरोधी आचरण है।

आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने के निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरा राम चौधरी।

jyg/rtm/08.09.25/12.40/1l

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री भैरा राम चौधरी (सियोल)।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश व क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों एवं विवाहित महिलाओं को भगाकर शादी करने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। माता-पिता की सहमति के बिना इस प्रकार विवाह करना न केवल अनुचित है बल्कि समाज और परिवार की मान-मर्यादा को भी ठेस पहुँचाता है। कई मामलों में आहत माता-पिता आत्महत्या तक कर लेते हैं। अक्सर यह विवाह आर्य समाज के मंदिरों में औपचारिकता निभाकर किये जाते हैं, जो हिंदू धर्म की परंपराओं, संस्कारों एवं सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। इसके साथ ही लव जिहाद जैसी घटनाएँ भी सामने आ रही हैं, जिनसे समाज में तनाव और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में संशोधन कर विवाह से पूर्व माता-पिता दोनों की सहमति को अनिवार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ऐसे अनैतिक विवाहों पर अंकुश लगेगा, समाज में शांति और विश्वास कायम होगा तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी परंपराएँ सुरक्षित रह सकेंगी।

अतः मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में आवश्यक संशोधन कर यह प्रावधान लागू किया जाये।

श्री अध्यक्ष: हो गया। पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री घनश्याम। श्री घनश्याम।

श्री ललित मीना।

किशनगंज-शाहबाद के वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मेरे किशनगंज-शाहबाद, बारां जिले में 2021 में केन्द्र सरकार द्वारा कूनो नेशनल पार्क बारां जिले के मेरे राजपुर, मुंडिया, भीलखेड़ा गांव, देवरी, शाहबाद में घोषित किया गया। उसमें अभी वर्तमान में और पूर्व में तेन्दू पत्ता की तुड़ाई बन्द कर दी गयी थी परन्तु बड़े-बड़े अखबारों के माध्यम से जानकारी यह आयी है कि वहां पर कूनो नेशनल पार्क कंजर्वेशन होते हुए भी वहां पर तेन्दू पत्ते की अवैध कटाई वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कैटल गार्ड, फोरेस्टर, रेंजर और उप वन बारां के अधिकारी हैं, वे सब मिलकर वहां पर तेन्दू पत्ते की कटाई वर्तमान में करवाने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तेन्दू पत्ते के साथ-साथ सागवान और खैर की अमूल्य लकड़ी का भी कटान पिछले दो-तीन साल से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 4 तारीख को 45 नम्बर क्वेश्चन था, उसमें जवाब दिया कि 7 केस-मुकदमे दर्ज हुए हैं जो खैर की लकड़ी काटी गयी है उसमें, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि खैर की लकड़ी काटने के 7 प्रकरण कुल अभी तक पिछले महीनों में दर्ज हुए हैं उनमें से लगभग 2 प्रकरण उन नाकों पर पैंडिग है और 3 प्रकरण अभी न्यायालय वन रक्षक बारां में विचाराधीन हैं। एक प्रकरण में 5100 की रसीद काटकर जमानत दे दी गयी है। इस विधान सभा के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तेन्दू पत्ते और खैर की लकड़ी की जो अवैध तस्करी हो रही है, उसके लिए वहां के जो रेंजर हैं, उनको लगभग 12 महीने पहले 25.03.2025 को एपीओ कर दिया गया और सरकार ने संवेदनशीलता रखते हुए उसको एपीओ किया और 12 दिन बाद उसको बहाल कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं बारां जिले में वो कहीं न कहीं फोरेस्ट को जो प्रधान मंत्री जी जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है उसको साकार करने की जगह वहां पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर हमारे उप वन संरक्षक बारां को 24/04 को एपीओ कर दिया लेकिन वर्तमान में वो 24/08 को स्टे लेकर आ गया तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम वहां पर खैर की कटाई में संलिप्त जो लोग हैं, जिनके विरुद्ध 7 मुकदमें दर्ज हुए हैं उनको देखते हुए खैर की कटाई तत्काल रोकी जाये। जयपुर से टीम बनाकर उस खैर के वन को सुरक्षित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र जोशी। श्री देवेन्द्र जोशी। अपनी पर्ची पर बोलें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)...

बधाई एवं आभार

देवेन्द्र जोशी, श्री को जन्म दिन की बधाई

श्री अध्यक्षः आज आपको बहुत-बहुत बधाई। आज आपका जन्म दिन भी है और आपकी पर्ची भी खुली है। इसलिए आपको बहुत-बहुत बधाई। बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): आपका बहुत-बहुत आभार। 295 में ..।

श्री अध्यक्षः 295 नहीं पर्ची है। ...(व्यवधान)...

भारतीय नागरिकता प्राप्त विस्थापितों के सरकारी प्रमाण-पत्र

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका हार्दिक आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान के कर्मशील मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पाक विस्थापितों की जो समस्या है उनको एड्रेस किया और खाली एड्रेस ही नहीं किया उनके समाधान की दिशा में कदम उठाये, राजस्थान में रहने वाले सभी पाक विस्थापित उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपकी सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उन्होंने पाक विस्थापितों की बस्तियों में विशेष पेयजल योजना दी है। पाक विस्थापितों की एक मूलभूत समस्या, उनको नागरिकता मिलने के बाद, उनको नागरिक अधिकार नहीं मिल पाना है। उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके बीपीएल कार्ड ये बनने में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं, उनको दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन नियमों में एकरूपता हो, नियमों का सरलीकरण हो ताकि पाक विस्थापित जिस तरीके से प्रताड़ित होकर इस देश में आये, उस तरीके की प्रताड़ना नागरिकता मिलने के बाद भी उनको नहीं हो। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आने वाले समय में जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाले हैं, उन शिविरों में एक कियोस्क पाक विस्थापित नागरिकों के लिए अलग से स्थापित किया जाये, उन शिविरों में उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उनकी व्यवस्था की जाये ताकि वो पाक विस्थापित नागरिक हैं जो अत्यंत गरीब वर्ग के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए सम्भव नहीं है रोज-रोज कार्यालयों के चक्कर काटना, दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद वो अपना पेट पालते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है राज्य सरकार से कि आने वाले प्रशासन शहरों की ओर कैम्प में एक विशेष कैम्प इन पाक विस्थापित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाया जाये ताकि ये पाक विस्थापित नागरिक भी इस देश में, इस राज्य में अपनी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं आराम से हासिल कर सकें। एक बार मैं पुनः राज्य सरकार का संवेदनशीलता के साथ पाक विस्थापितों के लिए लायी गयी योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले

प्रशासन शहरों के संग शिविर में भी मेरी इस मांग को स्वीकार कर पाक विस्थापित नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव से बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। श्री जवाहरसिंह बेढ़म। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार। ...(व्यवधान)... श्री मनोज कुमार की पर्ची है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, बोलें।

राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं का भौतिक ढांचा निर्माण एवं शैक्षणिक गतिविधियों का प्रारम्भ

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही गम्भीर विषय है। झुंझुनूं खेल विश्वविद्यालय बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में झुंझुनूं जिले में फिजिकल एवं स्पोर्ट्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी की निजी सहभागिता के माध्यम से संचालन स्थापना की घोषणा की गयी थी। दिनांक 13.12.2012 को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने की घोषणा की गयी थी तत्पश्चात् शासन उप सचिव, राजस्थान के दिनांक 25.08.2013 के अनुसरण में आवंटन आदेश क्रमांक सो-सो, दिनांक 21.08.2013 द्वारा राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, दोरासर, जिला झुंझुनूं को 125 एकड़, 50.58 हैक्टेयर भूमि का नि:शुल्क आवंटन किया गया।

MLS/RTM/08.09.2025/12:50/1m

सत्र वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा आज दिनांक तक खेल विश्वविद्यालय को आवण्टित भूमि की चारदीवारी के समतलीकरण का कार्य भी नहीं हुआ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: यहां चैयर के पास कोई नहीं आयेगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उक्त कार्य हेतु पूर्व में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र क्र. 337 दिनांक 03.03.2021 द्वारा भी निवेदन किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 263 वर्ष 2019-20 के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय झुंझुनूं को पुन: प्रारम्भ करवाने के लिए भवन, चारदीवारी निर्माण, समतलीकरण सुचारू रूप से संचालन आदि का बजट आवण्टन कर कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण कराने के लिए माननीय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा शासन सचिव, युवा मामले और खेल विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन आज दिनांक तक खेल विश्वविद्यालय के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे गम्भीर बात यह है कि राजस्थान जैसा राज्य जो प्रतिभावान युवाओं से भरपूर है, वहां आज तक एक भी पूरी तरह क्रियाशील खेल विश्वविद्यालय कार्यरत नहीं है, जबकि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार जैसे राज्यों ने हाल ही में अपने-अपने खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ कर दिये हैं। वर्ष 2018 में इम्फाल में भी प्रारम्भ कर दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर बात है, इस राजस्थान सरकार ने पिछली बार ग्रामीण ओलम्पिक के नाम से 200 करोड़ का घोटाला किया। 126 करोड़ के टी-शर्ट्स और निक्कर के लिए सरकार के पास पैसा था। माननीय अशोक गहलोत साहब कहीं जोधपुर तो नहीं ले गये यूनिवर्सिटी को? मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां झुंझुनूं में यूनिवर्सिटी स्थापित हो और इनके घोटालों की जांच हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पास 200 करोड़ रुपये निक्कर खरीदने और बेचने के लिए तो थे, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं थे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसी बजट में इस विश्वविद्यालय को, जो पिछले 10 वर्ष से इन्तजार कर रहा है, झुंझुनूं में वीर सैनिक, जवान और खिलाड़ी हमारी शेखावाटी बेल्ट ने दिये हैं, लेकिन यह विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गुजारिश है, हमारे उन वीरों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में, हमारे जवानों के सम्मान में इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम करें और वे जिन्होंने टी-शर्ट और निक्कर बेचे हैं, सरकार उनकी जांच कराये। उस 200 करोड़ के घोटाले की जांच कराये। उसकी गुणवत्ता की जांच कराये। वह 60 रुपये की टी-शर्ट 200 रुपये में बिकी है। कामचोर, बेईमानों के साथ हो गये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिये। श्री जवाहर सिंह बेढ़म। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। ...(व्यवधान)... आप वैल तक रहिये। वैल तक रहिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्याः प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 28.02.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 02 की उप धारा (1) के खण्ड (क) 1 के उपखण्ड (iV) के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 28.02.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 03 की उप धारा (1) के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2025 दिनांक 19.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 02 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iV) के तहत 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2025 दिनांक 19.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 03 की उप धारा (1) के तहत 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 21.08.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 02 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iV) के तहत मोबाईल वेटरनरी यूनिट एवं इससे संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 21.08.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 03 की उप धारा (1) के तहत मोबाईल वेटरनरी यूनिट एवं इससे संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या: प.12(9)गृह-1/2024(19478) दिनांक 04.03.2025 जिसके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 329 की उपधारा (4) के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को उक्त संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान जांच या विश्लेषण के लिए विधिवत प्रस्तुत किसी भी मामले या चीज की जांच, विश्लेषण और रिपोर्ट करने के लिए एक सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या: प.12 (09) गृह-1/ 2024 (19478) एस. ओ. 04 दिनांक 22.04.2025 जिसके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा 22 अप्रैल, 2025 को वह तिथि अधिसूचित करती है, जिससे सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर भेजेंगे और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सम्मिलित की गई है एवं

9. अधिसूचना संख्या: प.12(8)गृह-1/2024 जी.एस.आर.36 दिनांक 13.06.2025 जिसके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 523 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (राजस्थान) नियम, 2025 में संशोधन नियम को सम्मिलित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन (क्र.सं.3)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क', 2025-26 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र बुडानियां।

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं.2)

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2025-26 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 02.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.54 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Mkd/rtm/08.09.2025/1400/2c

(समय 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय..।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर बैठो। श्री सुमित गोदारा।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजो। अपनी सीटों पर विराजो, बहस में भाग लो। यहां से कोई लाभ नहीं होने वाला, गरिमा बनाये रखो।

श्री डूंगरराम गेदर, श्री डूंगरराम गेदर। अपनी सीटों पर जाकर बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री टीकाराम जूली।

श्री शान्ती धारीवाल।

श्री हाकिम अली खां।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनके पास बोलने के लिए सामान ही नहीं बचा है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): जो मत्स्य क्षेत्र का संशोधन विधेयक आया है, इसके अन्दर कई सारी चीजें, जिसमें बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो मछुआरा वर्ग है, उसके ऊपर अपराध की पैनल्टीज को कई गुना बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि जो गरीब मछुआरा है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आठ करोड़ जनता देख रही है। आठ करोड़ जनता यू-ट्यूब पर देख रही है। बहस में भाग लो।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): जिसकी आजीविका मछली पालन पर चल रही है, उस पर इस तरह से जुर्माना लगाना, वह कतई ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जुर्माने को कम करना चाहिए, ताकि जो छोटे मछुआरे हैं, उनकी रोजी-रोटी का संकट कम हो सके। सबसे बड़ी चीज जो बड़े-बड़े तालाब थे, जो झीलें थीं, मछली पालन का जो काम था, वह पूरे तरीके से कई सारी मल्टीनेशनल कम्पनीज को दे दिया गया है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह पूरे तरीके से उनके साथ कुठाराघात है, छोटे मछुआरों के साथ। इसके अन्दर एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। वर्तमान में राज्य में 92 हजार मछली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, वह लगातार बढ़ भी रहा है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मेरा निवेदन है कि इन तमाम छोटे मछुआरों के हितों के लिए अपन को बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मत्स्य पालन विभाग है, उसके अन्दर कई सारी सीटें वेकेंट हैं। आये दिन कई सारी चीजों पर बात भी होती हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर एक बार विचार करते हुए जो हमारे पद खाली हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से भर देना चाहिए। जो तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी बात को सुना जाना चाहिए। साथ ही साथ, इनको एक बड़ा मार्केट देने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

साथ ही साथ, मेरा निवेदन है कि कई सारी और भी समस्याएं हैं, जो मुख्य रूप से आगे आ रही हैं। इसमें अगर मैं बात करूं इनके मार्केट की, तो मार्केट के लिए भी इनको किस तरह से प्रोत्साहित करें, हम लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। इनके जो टैक्सेज की बात है, आप विचार करेंगे कि थोड़े दिन पहले यूजर चार्ज भी बढ़ा है, मंडियों के ऊपर भी यूजर चार्जेज बढ़ाये गये हैं, जिसके कारण हमारा जो व्यापारी वर्ग है, वह बहुत ज्यादा परेशान है।

मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार को उस यूजर चार्ज के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि कम से कम यूजर चार्ज मिले, ताकि हमारा जो व्यापारी वर्ग है, वह मुख्य धारा से जुड़कर रह सके। उसके लिए मेरा विशेष निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि मंडियों पर जो यूजर चार्ज लगाया है, उसको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, जवाब दें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025 में मत्स्य संरक्षण एवं विकास हेतु राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 एवं इसके अन्तर्गत बने राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 लागू है। वर्तमान विधेयक में राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 की धारा 8 एवं 11 में निम्नानुसार संशोधन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम की धारा 8 के तहत मत्स्य सम्बन्धी अपराध यथा बिना अनुज्ञा पत्र मछली पकड़ना, विस्फोटक, मत्स्य विष डालकर मछली मारना इत्यादि करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अपराधी पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान है। काफी समय से शास्ति बढ़ाई नहीं गई और शास्ति भी काफी कम है तो प्रथम बार मत्स्य सम्बन्धी अपराध किये जाने की स्थिति में अपराधी पर वर्तमान में निर्धारित शास्ति 500 रुपये, इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है तथा एक बार मत्स्य अपराध में लिप्त व्यक्ति यदि दोबारा मत्स्य सम्बन्धी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध शास्ति 1 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम की धारा 11 के तहत मत्स्य सम्बन्धी अपराधों हेतु निदेशक, मत्स्य को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में शास्ति रुपये सिर्फ 100 रुपये मात्र है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह काफी कम है और बहुत लम्बे समय से बढोतरी नहीं की गई तो इसलिए इस राशि को 100 रुपये से बढाकर 25 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री सुमित गोदारा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः थर्ड रीडिंग में, श्री मनोज कुमार, सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 8 और 11 में जो संशोधन लेकर आये हैं। मछुआरे अपने जीवनयापन के लिए, अपना पेट पालने के लिए व्यवसाय करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): और इन पर जो दण्ड का प्रावधान किया गया है, मैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आपका 500 से 25 हजार और 1 हजार से 50 हजार जो दण्ड किया है, यह आपका दण्ड अधिक है, इसलिए इस दण्ड को वापस संशोधन किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं कि मछली पालन करने वाले लोग जो सरकार के सामने एक मजदूर के रूप में व्यापारी व्यक्ति

होता है, उसमें मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आप बिल में जो संशोधन लेकर आये हैं, जुर्माने को तो लेकर आये हैं, लेकिन मछली पालन करने वाले लोगों के लिए, आप उनके अनुदान के लिए, उनको कोई सब्सिडी के लिए, उन मछुआरों को, जो मेरे राजस्थान प्रदेश में, मेरे चूरू जिले में और, माननीय मंत्री महोदय, आपके बीकानेर में भी झींगा मछली का बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है। एक तो हमारे पास उनके व्यापार करने के लिए बाजार नहीं है। उस बाजार को स्थापित करने के लिए आप, मंत्री महोदय, करेंगे, वह अपना एरिया, वह सूखा क्षेत्र, जहां कोई रोजगार नहीं, पानी नहीं वहां मछली पालन का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसलिए, आप उनका बाजारीकरण और बाजार देकर उनका भला करें।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

दूसरा, मैं इनसे कह रहा था कि आप झींगा फार्म में जो झींगा पालने वाले लोग हैं, जो किसान वर्ग से हैं, अपने स्वयं के खेत में काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अन्य स्टेटों में उनको बिजली किसान की तरह 90 पैसे यूनिट में दी जाती है और अपने यहां औद्योगिक क्षेत्र की तरह उनको बिजली दी जा रही है। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 1500 लोग झींगा मछली का व्यापार करते हैं, पालन करते हैं।

Bhs/Rtm/08.09.25/14.10/2d

लेकिन आपकी सब्सिडी नहीं मिलने के कारण और आपकी बिजली इतनी महंगी होने के कारण और उनका भाव नहीं मिलने के कारण वो फेल हो रहे हैं, उनका व्यापार बन्द हो रहा है। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि बिजली में अनुदान दें और उनको सब्सिडी दें। इस तरीके से आप उन किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

आपसे अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक है, अपनी-अपनी सीटों पर चले जाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था पर चर्चा करवा दो एक दिन। कानून-व्यवस्था पर चर्चा करवा दो, अध्यक्ष जी, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपकी बात पर सरकार से चर्चा करूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आठ

करोड़ की जनता इनके इस व्यवहार, राजस्थान विधान सभा की परम्पराओं, बिना कारण वेल में आकर यह पर्चे लटकाना, एक-दूसरे का विरोध करना, यह देख रही है। यह किसी भी मुद्दे पर इनके पास न तो विजन है, न कोई काम है, न कोई मुद्दा है, सिर्फ हो-हो और यों करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पता लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है। धब्बा है इनके ऊपर। ...(व्यवधान)...

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से लोक सभा को राहुल गांधीजी बाधित करते हैं ऐसे ही टीकाराम जूली...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.11 बजे 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Kas/rtm/08.09.2025/15.00/2j

(समय:15.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः राम-राम।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे, 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.00 बजे 15.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Msk/rtm/08.09.25/1530/2m

(समयः 15.30 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही 04 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.30 बजे 16.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mdp/rtm/08.09.25/16:00/2p

(समयः 16.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमने थोड़ा निवेदन किया था।

श्री अध्यक्षः क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कानून-व्यवस्था को लेकर आग्रह किया था आपसे।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सरकार ने सुन ली है। मैं समझता हूं सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर। डाक्टर प्रेमचंद बैरवा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो इस विधेयक को ला रहे हैं, आपने पिछले बजट में 750 करोड़ का प्रावधान रखा था, तो क्या आपने उस पैसे को खर्च किया? आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में 750 करोड़ का जो प्रावधान रखा, वह आपने आज तक एक रुपया खर्च नहीं किया। पहले जो हमारी गवर्नमेंट की, पिछली सरकारों की जो संस्थाएं हैं, उनका आप नाम बदलकर किसी का रिम्स करना चाहते हैं, किसी का और कुछ करना चाहते हैं, ऐसे करने से क्या होगा?

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

आपको नया रिम्स बनाना चाहिए, नया आयुर्विज्ञान संस्थान बनाना चाहिए, तब जाकर जनता को पता लगेगा कि आप कुछ करने जा रहे हैं। बोतल वही है और बोतल का ढक्कन बदल रहे हैं। चीज उसमें वही है, पानी वही है, शराब वही है और उसका नाम चेंज कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ...(व्यवधान)... ये आप वही काम करने जा रहे हैं। यह सच्चाई है। +++ प्रदेश की जनता भी इन चीजों को देख रही है।

आप एक बात बताइए कि 150 छात्रों का क्या किया आपने? 4,500 पैरा मेडिकल वालों का क्या किया आपने? पूरे अस्पतालों में डाक्टर्स की जगह खाली पड़ी हैं, कम्पाउंडर्स की जगह खाली पड़ी हैं। प्रदेश में लोग चिकित्सा के लिए हाहाकार कर रहे हैं। इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जांचें लोगों की नहीं हो पा रही हैं और आप कह रहे हैं हम रिम्स खोल रहे हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान खोल रहे हैं। भाई, वहां पहले डाक्टर तो लगा दो आरयूएचएस में। आरयूएचएस का नाम बदलकर आप रिम्स रख रहे हैं। आयुर्विज्ञान संस्थान बना रहे हैं। ये किस तरह की कल्पना आप इस प्रदेश में करने जा रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिल पर डिस्कशन हो रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, बिल पर ही डिस्कशन हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय, बिल पर बोलिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बिल पर ही डिस्कशन हो रहा है। एक शब्द भी अलग बोला हो

तो आप बताओ।

श्री सभापतिः पूरे मेडिकल पर चर्चा नहीं हो रही है, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेडिकल पर ही चर्चा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका अनुभव कहां है? कौनसे बिल पर ...(व्यवधान)... कर रहे हैं?

श्री सभापतिः राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान पर चर्चा कीजिए आप। माननीय, आप चुप रहिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ये मेडिकल ही तो है। ये मेडिकल की ही तो चर्चा है। क्या डाक्टर ...(व्यवधान)... मेडिकल में नहीं आते? कम्पाउंडर मेडिकल में नहीं आते क्या?

श्री सभापतिः विधेयक पर विषय है, उस विषय को रखिए आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, उस विषय को ही रख रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप ये नाम, संस्थान अलग क्यों नहीं बना रहे। आप अलग जमीन अलॉट करो, अलग संस्था का निर्माण कीजिए और उसका नाम जो भी हो रखिए। हम कब मना कर रहे हैं। आप जिलों का नाम बदल रहे हैं, जिले तोड़ रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं।

श्री सभापतिः आप बोल लो। आप तो शांत रहिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि आप जो ये खोलने जा रहे हैं, एक नयी जमीन अलॉट करें, नया अस्पताल बनाएं, उसका आयुर्विज्ञान संस्थान नाम रखें, रिम्स रखें, निम्स रखें, जो भी रखें, ये राजस्थान की जनता स्वीकार करेगी, परंतु ये नहीं कि आप नाम चेंज कर दोगे, संस्था वही है, उसी का नाम चेंज कर रहे हैं। लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, कम्पाउंडर नहीं हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। आप उस काम को तो कीजिए। पहले जो जनता त्राहिमाम कर रही है, आपको पूछ रही है। आज पूरे प्रदेश में आप किसानों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है? फसल खराबे की बात देख लीजिए।

श्री सभापतिः फसल खराबे की तो कल बात होगी, बाद में। अभी तो हम इस पर ही बात कर लें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हम किसान के घर में पैदा हुए हैं। किसान की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप बताइए।

श्री सभापतिः किसान की बाद में कर लेना, अभी तो इस पर बात कर लीजिए आप। विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की सरकार कार्यवाही नहीं करे, इस तरह के बिल नहीं लाये। जो यथार्थ में है, वही बिल लाये।

श्री सभापतिः श्री शांति धारीवाल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, ये जो संस्थान बनायी जा रही है, ये पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का केन्द्र है, इस बिल के अनुसार। पोस्ट ग्रेजुएट, इसका सीधा मतलब ये है कि यहां पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई चल रही थी, वह बंद हो जाएगी। जो 750 लड़के पढ़ रहे हैं वह और जो इस साल 150 भर्ती होने वाले थे, 150 सीटें मौजूद हैं, उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन देगा। अंडर ग्रेजुएट की तो क्लासेज चलेगी नहीं इस रिम्स में तो। माननीय मंत्री महोदय, रिम्स का मतलब क्या है, आप तो मुझे ये बता दो। क्या मतलब है इसका? आप बताओ।

श्री सभापतिः जवाब में बता देंगे, माननीय। आप तो अपनी बात रखिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आर फोर राजस्थान, आगे क्या? आर फोर तो राजस्थान हो गया, बाकी रिम्स का मतलब क्या है बताइए।

श्री सभापतिः बता देंगे। आप तो आपकी बात रखिए। अभी जब उत्तर देंगे बता देंगे। आपका समय निकल रहा है। आप अपनी बात रखिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमारे प्रदेश में मुख्य मंत्री जी का ये हाल है, उप मुख्य मंत्री जी का।

श्री सभापतिः अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। बाद में देंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या जवाब देंगे। ...(व्यवधान)... शुरू में रिम्स ही नहीं आता इनको।

श्री सभापतिः जवाब देते समय देंगे। ....(व्यवधान)... अभी तो आप अपनी बात रखिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इनको रिम्स ही नहीं आता।

श्री सभापतिः अभी कोई सवाल जवाब का समय थोड़े ही है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या है, लाहौल विला कुव्वत। अब 400 पैरा मेडिकल छात्र इसमें पढ़ते हैं, आरयूएचएस में, उनका क्या होगा? उनके बारे में इस बिल में कुछ भी नहीं है। कहां जाएंगे वे, किस तालाब में डूबेंगे? कहां उनको भेजेंगे आप? भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? नामोनिशान नहीं है उनका कहीं पर भी। स्थिति साफ दिखती है कि सरकार ने घोर लापरवाही के साथ ये बिल पेश किया है।

तीसरी बात, सैकड़ों परिवारों में अनिश्चितता पैदा हो जायेगी इस बिल से। किसी ठोस योजना के युवाओं का भविष्य अंधकार में जायेगा। सीधा का सीधा अंधकार में डलेगा उनका भविष्य बेचारों का। कुछ भी नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए और कांग्रेस के वक्त में जो चिकित्सा की उपब्धियां थीं, उनको मिटाने के लिए आप ये रिम्स नाम की चीज लेकर आये हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): क्या है कि ये बिल पढ़े ही नहीं, बिल पर खुद पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अध्ययन किया ही नहीं। मेरे को ध्यान है। मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप ज्यादा ज्ञानी हो इनसे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): गहलोत साहब ने बताया है आपको।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, देशभर के सभी एम्स का लिया, सरकार के द्वारा कि एम्स की तर्ज पर हम रिम्स को लाएंगे। देशभर में जितने भी रिम्स हैं, वहां पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन भी होती है और अंडर ग्रेजुएट की भी एजुकेशन होती है।

Ans/rtm 16.10 2q 08.09.2025

दोनों स्तरों की चिकित्सा शिक्षा एम्स में दी जाती है। ऐसे में यह कहना कि रिम्स का गठन एम्स की तर्ज पर किया जा रहा है, बिलकुल आंखों में धूल झोंकना है। ...(व्यवधान)... प्रस्तावित विधेयक में जिस रिम्स की स्थापना की बात कही जा रही है, उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान चलाने का उल्लेख है। मंत्री जी, जरा 8-बी पढ़ना। सेक्शन 8-बी, किताब उठाओ तो सही। किताब उठाओ। मैं पढ़ाता हूं ना आपको। मैं पढ़ाता हूं आपको।

श्री सभापति: साहब, जब उनका समय आयेगा तब जवाब देंगे। अभी तो आप अपना बोलो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने यह क्या लिखा है ...(व्यवधान)... यह 8-बी में क्या लिख दिया, इसको तो देखो।

श्री सभापति: आप तो अपना बोलते चलो साहब। उनका समय आयेगा तब वह जवाब देंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या बात कर रहे हो आप। आप उनसे यह तो कहो कि कम से कम कानून तो ...(व्यवधान)... ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सारे जवाब आपको अभी दिलवाएं क्या? ...(व्यवधान)... आप तो अपना विषय रख दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): गजब कर रहे हो, साहब। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप राजस्थान में चिकित्सा की तरक्की में रुचि ही नहीं रख रहे ...(व्यवधान)...यह इंस्टीटयूट जैसा इंस्टीट्यूट बनेगा।

श्री सभापति: मंत्री जी जब जवाब दें ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पोस्ट ग्रेजुएट ...(व्यवधान)... राजस्थान आगे बढ़ेगा। आप हमेशा पीछे हो। आप तो सरकार में मंत्री थे। 20 महीने तक चिकित्सा में ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप तो विराजो। आप ज्यादा अनुभवी हो ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सीएम बैठे थे ...(व्यवधान)... अशोक गहलोत ...(व्यवधान)...आपने चिकित्सा में कहां काम किया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): विराज जाइये। आपका सब्जेक्ट नहीं है ...(व्यवधान)... आपका सब्जेक्ट आ जाए तब आ जाना मेरे सामने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कोटा से आने वाले माननीय विधायक जी इतना घमण्ड मत करो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपको लगता है कि ज्यादा ज्ञानी हो तो बहस कर लो ...(व्यवधान)... यह बोल रहे हैं ना। हमें ध्यान है तो हम उस बात पर बात कहें ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी सक्षम है। गोदारा जी, मेरी बात सुनो ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमें बोलने का नहीं, आपको ही है क्या ...(व्यवधान)... कोई आपको ज्यादा ज्ञान है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी सक्षम है, वह जवाब दे देंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजिये। आप भी विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बोलने दो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बिराजे। गेदर साहब बैठो। साहब, आपका समय भी हो गया। जल्दी अपनी बात करें। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने अभी तो चालू किया है।

श्री सभापति: दिन भर बोलने का विषय नहीं है ...(व्यवधान)... बस हो गया। आप इसको जल्दी संक्षिप्त करें। ...(व्यवधान)... प्लीज, विराजिये। इसमें कोई बहुत लम्बा समय नहीं दिया जाएगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, बिल के ऊपर समय नहीं होता है। बिल के ऊपर कोई समय नहीं होता है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। ऐसे दिन भर ही चलता रहेगा। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय वस्तु पर माननीय सदस्य पूरा बोल सकते हैं।

श्री सभापति: नो, नो ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय वस्तु से अलग नहीं बोल सकते। विषय वस्तु पर बोल सकते है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नो, नो। ऐसे नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय वस्तु से अलग नहीं बोल सकते, विषय वस्तु पर पूरा बोल सकते हैं। यह क्या बात हो गई?...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, शांति

धारीवाल जी का कौनसा समय हो गया है? ...(व्यवधान)... धारीवाल जी का कौनसा समय हो गया, कृपया इसके बारे में बता दे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिल पर सदस्य के लिये छूट होती है, वह कितना भी बोल सकता है ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जो प्रस्तावित रिम्स की बात की जा रही है ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, विधेयक में जिस रिम्स स्थापना की बात की जा रही है इसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फ़ार्मेसी संस्थान चलाने का पहले से ही उल्लेख है। सेक्शन 8-बी में यह लिखा है। लेकिन इन सभी संस्थानों का संचालन जब पहले से ही वहां चल रहा है तो फिर उसको वहां से उठाकर रिम्स में डालने का क्या मतलब हुआ। ...(व्यवधान)... मतलब तो यह हुआ कि एक दुकान चल रही है उसको तो बंद कर दो और दूसरी दुकान खोलकर कह दो कि हमने रिम्स खोल दिया। ...(व्यवधान)... भई, चल रही है जिसको चलने दो। दूसरी खोलनी है तो बाकायदा दूसरी खोलो, खूब आराम से खोलो, हम सबका समर्थन है आपको, खूब खोलो। इससे यह स्पष्ट है कि रिम्स अधिनियम, यह जो एक्ट लाया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई नई बेसिक, मौलिक सोच आप लोगों की है ही नहीं। ...(व्यवधान)... कोई सोच नहीं है।

श्री सभापति: बिराजे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सिर्फ नाम बदलना है। बिल्डिंग बदलना है।

श्री सभापति: बिराजे। श्री डूंगरराम गेदर। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो हुआ ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हो गया। एक ही विषय को बार-बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य है क्या ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या रिपीट किया?

श्री सभापति: हर बात वही है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या रिपीट किया?

श्री सभापति: हर बात वही है। आप रिकार्ड उठाकर देख लो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): एक भी रिपीट नहीं किया है।

श्री सभापति: सारी वही बात रिपीट हो रही है। या तो कोई नई बात, विषय की बात रखे आप। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह क्या बात हुई? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ऐसे नहीं। आप कोई नया विषय रखे। ...(व्यवधान)... आप रिपीटेशन मत करो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): नहीं करेंगे।

आपने रिम्स ऑटोनोमस बॉडी बनाई। आप कहते हैं कि यह ऑटोनॉमस बॉडी है। स्वायत्त संस्थान के रूप में काम किये जाएंगे। ऑटोनॉमस का अर्थ क्या होता है? ऑटोनॉमस का अर्थ

होता है कि संस्थान अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण रखे और स्वतंत्र निर्णय ले, वह ऑटोनॉमस कहलाता है। लेकिन प्रस्तावित रिम्स में जो अध्यक्ष है, सह निदेशक है, वह तो आपने अफसर बिठा दिये। ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया। इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या लेना देना। ...(व्यवधान)... देश के किसी भी एम्स में कोई ब्यूरोकेट, कोई ऑफिसर नहीं है। किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्थान वास्तव में सरकार के अनुसार ही चलेगा और उसका संचालन पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही रहेगा। यह अधिकारी चूंटकर खाएंगे। भारत में कहीं भी ऑटोनॉमस इंस्टीटयूशन का चाहे वह शैक्षणिक हो चाहे चिकित्सा से सम्बन्धित हो, कोई ऐसा ढांचा आपको नहीं मिलेगा जहां इस तरीके की ऑटोनॉमस बॉडी ...(व्यवधान)... सभापति जी, रिपीट तो नहीं हुआ।

श्री सभापतिः नहीं यह वाला विषय तो नहीं हुआ। पहले बार-बार एक ही बात कर रहे थे। ...(व्यवधान)... आपने पांच मिनट तो रिपीटेशन में ही निकाल दिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): देश के प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में जैसे एम्स, आईआईटी, आईआईएम, पीजीआईएमईआर, केजीएमयू (लखनऊ), एएमयू (अलीगढ़), जेआईपीएमईआर, एनआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नये संस्थान में परिवर्तित किया जाता है ...(व्यवधान)... मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप इसको सुनो, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापतिः सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, साहब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको आसन को इंगित करके जो भी कहना है, आप अपनी बात कह सकते हैं। मंत्री जी को नहीं कह सकते।

श्री सभापतिः आप तो इधर देखकर बोलो। मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बार-बार मंत्री जी को इंगित कर रहे हैं।

श्री सभापतिः आप इधर देखें, साहब। ...(व्यवधान)... माननीय वरिष्ठ सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने तो आसन के सामने बोल लिया ना, अब विराज जाओ। ...(व्यवधान)... क्या दिक्कत है?

श्री सभापतिः आप तो इधर देखें, साहब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी ड्यूटी है ...(व्यवधान)... आसन को इंगित करें।

श्री सभापतिः आप तो इधर देखे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): दिक्कत यह है कि आसन पर जो शक्ल है वह इनको पसंद नहीं ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

किसी भी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नये संस्थान में परिवर्तित किया जाता है तो पूर्व संस्थान के सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों, वेतन व वरिष्ठता के साथ नये संस्थान में

समायोजित, मतलब एब्जोर्ब किये जाएंगे, यह पूरे भारत में वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आपके इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है। कहीं पर भी नहीं है कि उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों का क्या होगा जो वर्षों से वहां सेवा दे रहे हैं। प्रस्तावित रिम्स अधिनियम में यह प्रावधान पूरी तरह से उल्टा कर दिया आपने। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की सम्पत्ति, चल व अचल सम्पत्ति रिम्स में समायोजित कर, जबकि वहां के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर रखा है। आपको रिम्स ही बनाना है तो अलग अस्पताल बनाओ। वर्तमान में जो आरयूएचएस चल रहा है उसको उसी रूप में चलने दो। यूनिवर्सिटी के बतौर चलता रहेगा, उससे काहे को छेड़छाड़ कर रहे हो? (समय समाप्ति सूचक घंटी)

उसके मेडिकल कॉलेज ले लो, उसके डेंटल कॉलेज ले लो, यह ले लो, वह ले लो लेकिन कोई नई चीज तो बनाओ। ...(व्यवधान)... पुरानी दुकान के पुराने सामान उठाकर आप तो दूसरी दुकान खोल रहे हो।

श्री सभापतिः विराजिये साहब। श्री डूंगरराम गेदर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दूसरी दुकान खोल रहे हो आप तो।

श्री सभापतिः हो गया साहब। आपने काफी बोल लिया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब आगे नहीं बोलने देंगे आप?

श्री सभापतिः आपने काफी बोल लिया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आपकी बात मान लेता हूं। ...(व्यवधान)... देखो, मैं आपकी बात मान रहा हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री डूंगरराम गेदर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि अच्छी तरह से दुरुस्त हो। मंत्री जी तो लाचारी में आकर बैठ गये यहां पर, मंत्री जी तो दूसरे थे।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री डूंगरराम गेदर।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): सभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री सभापतिः श्री पूसाराम गोदारा। डूंगरराम जी का इनके बाद है। ...(व्यवधान)...

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): हमारे आदमी बोलने वाले हैं ...(व्यवधान)... मैंने कहा यह कहां से आ गये? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपके ही हैं और कहां से आएंगे? ...(व्यवधान)... भले आदमी है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

VPS-RTM-08.09.2025-16.20-3a

मेरा यह मानना है कि राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, जयपुर चिकित्सा अन्वेषण देख-रेख व डिग्रियां व प्रशिक्षण करने का कार्य कर रही है तथा तमाम मेडिकल

कॉलेज इसके अधीन कार्य कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अस्पताल भी चल रहा है जो कि कार्य कर रहा है। उसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर अपने जोधपुर में हमारा एम्स चल रहा है, वह अपना अलग से काम कर रहा है। आपने इस बिल में रिम्स को पूरे राजस्थान का ज्यूरिस्डिक्शन देने की बात की है। यह बात वास्तव में सही है कि बहुत सी ऐसी चीजें इसमें शामिल नहीं की गयी हैं जैसे- राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी, एस.एम.एस., एम्स, यह सब प्रशासनिक काम, मेडिकल के प्रशिक्षण सम्बन्धी, इलाज सम्बन्धी, अन्वेषण सम्बन्धी काम कर रहे हैं। इसके बारे में इस बिल में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गयी है इसलिए भी यह बिल अधूरा है और यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोई नई संस्था का गठन हो रहा है या पुरानी जगह पर ही इसको चलाया जायेगा और इसमें सारी व्यवस्था की जायेगी।

इसके अलावा एस.एम.एस. हॉस्पिटल, हमारे पूर्व गहलोत शासन में, कांग्रेस के राज में आईपैड ...(व्यवधान)... सॉरी, एस.एम.एस. के पीछे आई.पी.डी. टॉवर 200 बेड का बन रहा है, इससे उसका बजट कम होगा। इसको आपने 100 करोड़ रुपये देकर अलग से व्यवस्था की है और उसके बजट में कटौती की है जबकि पहले इसको शीघ्र ही पूर्ण करवाना चाहिए, पहले इस काम को करना चाहिए ताकि इस बजट में कटौती न हो और यदि फिर भी आप आवश्यक समझते हो तो राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु बिल लाया जा रहा है अन्यथा वर्तमान में बड़े-बड़े अस्पताल, संस्थान, विश्वविद्यालय चल रहे हैं तो इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। इसमें इतनी जल्दी विधेयक की आवश्यकता को समझा है और सरकार का इरादा है, इसकी आवश्यकता महसूस करते हो तो संस्थान के गठन में, धारीवालजी ने यह बात बिलकुल सही कही है, आपने कानून बना दिया और ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया। इसमें जन-प्रतिनिधियों का, राजस्थान सरकार की तरफ से एक विधायक को शामिल किया जायेगा तो यह बहुत गलत बात है। जो भी बिल लाते हैं आप उसमें जन-प्रतिनिधि को बाईपास करते हो। जब अपन बात करते हैं कानून लागू करने की और कानून के मुताबिक काम करने की तो वे लोग यही बात कहते हैं कि यह कानून आपने बनाया है। कानून बनाने के बाद अपने हाथ कट जाते हैं तो यह व्यवस्था बहुत खराब है। इसमें अधिक से अधिक विधायक और एम.पीज. को शामिल किया जाना चाहिए जो भी संस्थान बन रही है यह रिम्स, इसमें इनको एम.पीज. और एम.एल.एज. को निश्चित तौर से शामिल किया जाये। एक एम.एल.ए. से काम पूरा होने वाला नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसका निदेशक बहुत कुशल प्रशासक होना चाहिए, वह मेडिकल में एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको हर प्रकार की नॉलेज हो और उसी को उसका डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए। हालांकि, इसमें चीफ सैक्रेटरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस बिल को पारित करने से पूर्व मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निःशुल्क इलाज में औपचारिकता न हो, प्रशासनिक दृष्टि से नई वैज्ञानिक तकनीकी हो और अनुसंधान हो, जिसमें विदेशों में होने वाले इलाज की तर्ज पर इसमें काम हो तब तो नया बिल लाने से कोई

मतलब है नहीं तो बहुत सी संस्थाएं, आज एस.एम.एस. हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर अच्छा काम कर रही है, विश्वविद्यालय काम कर रहा है लेकिन फिर भी एक नया, अपनी कोई अलग से छाप छोड़ने के लिए यह सरकार रिम्स ला रही है तो वह अलग चीज है इसलिए मैं लम्बी बात नहीं कहते हुए क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता सीनियर मंत्रीजी ने बात बहुत विस्तार से बता दी है इसलिए मेरा यही कहना है कि इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने की मांग करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः विराजिये। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री जोगेश्वरजी गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 15)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने चौदहवें प्रतिवेदन में बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को नियत किये गये कार्यों में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

बुधवार, दिनांक 10, सितम्बर 2025	**प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित** 1. राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण, एवं 2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री डूंगरराम गेदर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सर्व सम्मति से साइन करके आये और वे यहां पर आकर कह रहे हैं नो। वाह रे वाह। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बैठिये-बैठिये। श्री डूंगरराम गेदर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 पर बोलने अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक, रिम्स का जो आप कानून लेकर आये हैं, कानून में जो संशोधन कर रहे हैं लेकिन इसके अन्दर धरातल पर क्या करेंगे, यह अभी तक कुछ भी क्लियर आपने नहीं किया है। इसके अलावा यह विधेयक बिना स्टडी के लाया गया है और धरातल पर इस विधेयक पर कोई बातचीत आपने नहीं की है।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल से राजस्थान प्रदेश के अन्दर हॉस्पिटल्स की हालात इतनी खराब है। नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है और चिरंजीवी योजना का तो पूरा का पूरा सत्यानाश राजस्थान के अन्दर कर रखा है। आर.जी.एच.एस. योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं और यह बात सरकार के भी बार-बार संज्ञान में आयी है लेकिन सरकार को वास्तव में जिन मुद्दों पर धरातल पर काम करना चाहिए उन मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सरकारी हॉस्पिटल्स में जांचों का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त पी.एच.सीज., सी.एच.सीज., उप जिला अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में होने वाले विभिन्न लैब कार्यों, लैब जांच कार्यों के निजीकरण की ओर अग्रसर करते हुए स्पोक मॉडल हब और मदर लैब योजना के तहत निजी कम्पनियों को एक हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए पांच वर्षों हेतु आपने सौंपने का प्रस्ताव लागू किया है जो राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्पोक मॉडल हब और मदर लैब में दो हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का जो एम.ओ.यू. आपने किया है और इसकी आधी लागत से भी कम में जनता को निजीकरण से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं सक्षम एवं योग्य कर्मियों द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। जिसमें मात्र सरकार को सक्षम स्तर की सरकारी लैब हेतु ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है और जो आप निजी हाथों के अन्दर सारा का सारा सिस्टम सौंप रहे हैं उससे गुणवत्ता से बढ़कर व्यक्तिगत मुनाफे की ओर यानी, प्रमुखता देने का काम सरकार कर रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत लैबोरेटरीज, जांच कार्य, स्पोक मॉडल हब और मदर लैब के माध्यम से निजी कम्पनियों को जो सौंपा जा रहा है, जिसके कारण यह कार्य अब सरकारी तंत्र की बजाए निजी हाथों में जायेगा तो हम एक तरफ तो सरकार की और यानी, सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन जो सुविधाएं इससे पहले सरकार की ओर से दी जा रही हैं, उन सुविधाओं को हम लोग निजी हाथों में देने का काम

कर रहे हैं जिससे राजस्थान के जो प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनके साथ धोखा है इसलिए मेरी इस विधेयक में यह मांग है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास करने को तो कुछ है ही नहीं तो करने को कुछ नहीं है तो चलो रैपर ही बदल देते हैं, बाहर का बोर्ड ही बदल देते हैं, माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति इस सरकार की हो चुकी है।

ssy/rtm/08.09.2025/16.30/3b

चलो आप एक बात बताओ, आप 750 करोड़ का बजट लेकर आये थे पिछले बजट के अन्दर, जो पहला बजट इस सरकार का आया था, संसदीय मंत्री जी, थोड़ा ध्यान देना, वह 750 करोड़ रुपये आपने आरयूएचएस के लिए दिये थे, उसमें से साढ़े 7 रुपये भी खर्च कर दिये क्या? यह बता दो आप। फिर रिम्स कहां से बनाओगे? कोई स्ट्रक्चर है आपके पास? कोई बिल्डिंग आपने देखी है? जमीन तय की है? कुछ नहीं, क्योंकि आरयूएचएस कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस का नाम है, कोविड में अच्छा काम हुआ है वहां पर तो क्या करना है कि आरयूएचएस के ऊपर रिम्स लिख दो। बाकी एम्स की तर्ज पर है तो आप यह बता दो कि एम्स के कितने नियम हैं, बायलॉज हैं वह आप फॉलो कर रहे हो, आप बता दो? कितने फॉलो किये हैं? आप बता ही नहीं पाओगे। क्योंकि हकीकत तो यह है कि आपकी पार्टी ने ही 4-4 बार नाम बदले हैं। पहले हिन्दू महासभा, फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे ही आप इनके भी नाम बदल दो। इन संस्थानों के नाम बदल दो क्योंकि यह कांग्रेस का बनाया हुआ संस्थान है।

जो रिम्स संस्थान है, यह 'quaternary referral hospital' आपने घोषित किया है? यह स्पष्ट करता है कि जो बीमारी आम आदमी को है उसका इलाज वहां नहीं होगा। वहां सिर्फ टर्सरी केयर है, टर्सरी केयर केन्द्रों से जो लोग रेफर होंगे उन्हीं का इलाज होगा। तो फिर आपने ऐसा क्या कर दिया इसमें? क्या किया है आपने? आप बताइये तो सही। लेकिन आपको जिद है कि आरयूएचएस की जगह रिम्स करना है। यहां जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? यहां जो स्टाफ लगा हुआ है, आप कह रहे हो ना एम्स की तर्ज पर, तो जितने भी भारत के संस्थान हैं उनमें तो जो वहां का स्टाफ है वह मर्ज होता है। यहां जो स्टाफ है इसका आप क्या करोगे? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

दूसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कि आरयूएचएस की जो स्थापना हुई थी, वह सिर्फ डिग्री देने के लिए नहीं हुई थी। वहां शिक्षण और अनुसंधान यानि एजुकेशन हो, रिसर्च हो इसके लिए हमने इसको यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया। वहां पर मेडिकल कॉलेज बना। डेंटल कॉलेज बना। इसको आगे लेकर गये। इससे कॉलेजों की संबद्धता जोड़ी। लेकिन

आपने जो हाई कोर्ट के अन्दर मामला चला गया, वह आप अध्यादेश इसलिए लेकर आये थे अभी 3 दिन पहले कि हाई कोर्ट से आपको राहत मिल जाये। क्योंकि आपसे जो कॉलेज संबद्ध हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसी को आप इससे अलग कर रहे हो, मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण तो कह रहा है कि आप उन्नयन कर रहे हो, तो जब मेडिकल कॉलेज ही हटा रहे हो तो यह उन्नयन है या अवनयन है?

अगर आपको इसमें फैसेलिटीज बढ़ानी थी तो आप इसमें बढ़ाते। जो 750 करोड़ रुपये दिये थे उनको खर्च करते। लेकिन इसलिए कि वह 750 करोड़ खर्च नहीं कर पाये, कहीं न कहीं आपको कहने के लिए जगह चाहिए थी कि यह 750 करोड़ रुपये हमने इसलिए नहीं खर्च किये कि हम इसको रिम्स बनाना चाहते थे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बीमारु प्रदेश है पैसे नहीं हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे तो डबल इंजन की सरकार है। आप यह जो सारा सिस्टम कर रहे हो ना, यह 20 साल पहले हमने जो शुरू किया था, आप वापस इसको वहीं ले जाकर खड़ा करने का काम कर रहे हो। आप यह बता दो, रिम्स बनाने में जो खर्चा आयेगा, कितना खर्चा आयेगा? शायद एक हजार करोड़ रुपये रखा है। कोई अभी गाइड लाइन तैयार की है? आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा, आरजीएचएस में आप भुगतान नहीं कर पा रहे हो। हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया। 5-5 महीने से ट्रेजरी के अन्दर बिल पड़े हैं। वह आप भुगतान नहीं कर पा रहे हो तो यह रिम्स के एक हजार करोड़ रुपये कहां से दे दोगे?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पंजाब नेशनल बैंक से एमओयू है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आईपीडी टावर आप पूरा नहीं करा रहे हो। वह आप कहां से पूरा कर दोगे? माननीय सभापति जी, संसदीय मंत्री यहां पर बैठे हैं, एक विधायक तक तो अपनी मां का इलाज नहीं करा पा रहे आरजीएचएस से और आप बात कर रहे हो रिम्स की? उसको कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे?

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जमीन अलॉट करे, बिल्डिंग बनाये और एम्स की तर्ज पर नहीं एम्स से बढ़िया रिम्स यहां पर बनाये। हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप कुछ करिये तो सही। आप कुछ नहीं कर पाओगे।

आपने कहा हम बुजुर्गों को दवाई फ्री घर भिजवायेंगे। भिजवा दी? आप बता दो, एक को भी अगर भिजवाई हो तो। क्योंकि आपके पास ना दवाई है, ना स्टाफ है। एक तो खबर ऐसी है कि 46 हजार प्रसूताओं के साथ ऐसा हुआ कि जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला, तो यह एक हजार करोड़ रुपये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां से लेकर आओगे? बताओ तो सही ...(व्यवधान)... इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारा एसएमएस शानदार हॉस्पिटल है। शानदार काम कर रहा है। आरयूएचएस अच्छा काम कर रहा है। अगर आप इसके अन्दर और सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाइये। नया भी लेकर आना चाह रहे हैं

तो लाइये। लेकिन हमारी बिल्डिंग, हमारा संस्थान, उस पर सिर्फ बोर्ड बदलो तो यह चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है। आरयूएचएस हमने बनाई।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कांग्रेस की संपत्ति नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार ने बनाई।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राजस्थान सरकार की संपत्ति है। कोई कांग्रेस की प्रोपर्टी नहीं है। यह दिमाग से निकाल दो कि कांग्रेस की प्रोपर्टी है। वह जनता की है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है, यह दुनिया जानती है कि आपने जो नाम बदलने का काम किया है ना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने नहीं किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा कर दिया। निर्मल भारत का नाम स्वच्छ भारत कर दिया। राष्ट्रीय पेंशन को आपने अटल पेंशन कर दिया। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को प्रधान मंत्री जन धन योजना कर दिया। एनईजीपी को जिसे हमने शुरू किया था ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इस बिल को आपने पढ़ा नहीं है इसलिए इधर-उधर की बातें करके टाइम पूरा कर दो। बिल के एक क्लॉज पर बोले हो तो बता दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बिल पर बोला हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिल के एक क्लॉज पर बोले हो तो बता दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक-एक चीज बिल पर बोला हूं, टोटल चीज। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिम्स का बिल आप लेकर आये हो इसको आप वापस भेजो जनमत जानने के लिए ताकि सही मायने में सारी चीजें आ जायें। 2011-12 में आरयूएचएस का डेंटल कॉलेज और 2013-14 में आरयूएचएस का मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसके अन्दर हो चुकी थी। यह हमारी सरकार का ही था ना, जब सारी चीजें हमने इसके अन्दर की, कोविड का यहां पर इलाज, कैंसर का सस्ता और बेहतरीन इलाज है तो उस सबको क्यों बंद करना चाह रहे हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रिपीट कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कैंसर का पहली बार ही बताया है, पहले कहां बोला हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): बंद कहां कर रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग कर रहे हो। अब यह प्रभारी मंत्री जी जो रखेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कौन कर रहा है? सिर्फ अपने मन से ही प्रश्न और अपने मन से ही उत्तर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो अध्यक्ष है वह किसी जन प्रतिनिधि को, किसी डॉक्टर को, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाये जो इसके बारे में जानता हो। यह सारे अधिकारियों को वहां बैठा रहे हो जिनको नॉलेज भी नहीं है और समय भी नहीं है। इससे काम चलने वाला नहीं है। जो विषय विशेषज्ञ हो उसको वहां पर बैठाइये और इसको जनमत जानने के लिए भेजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जयकृष्ण पटेल। श्री जयकृष्ण पटेल। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सरकार रिम्स जैसी संस्था लाई, उसके लिए मैं सरकार का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप राजस्थान प्रदेश के बारे में इस तरह से बिल लेकर आये हैं और राजस्थान की जनता को आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बिल के बारे में अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष जो कह रहे थे, एक संस्थान के सदस्य के रूप में आप जो गठन कर रहे हैं।

spp/rtm/08.09.2025/16.40/3c

इस गठन में आपने पूरे ब्यूरोक्रेट्स को भरकर आप इस रिम्स जैसी संस्थान में जन-प्रतिनिधियों का अभाव, एक मात्र एम.एल.ए. राजस्थान का होगा। इसके अलावा, इसमें आपने संस्थान के निदेशक का चयन भी धारा 10 में आपने कमेटी चयन के लिये खोजबीन कमेटी बनायी। उस कमेटी में भी आपका पूरे के पूरे संस्थान के जो सदस्य हैं, उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया। वही लोग चयन करेंगे तो फिर आपने अलग से खोजबीन समिति बनाकर इस धारा 10 में क्यों किया? अगर धारा 10 में खोजबीन कमेटी बनाना चाहते हैं और निदेशक का चयन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कमेटी, आपके वह लोग अलग होने चाहिये। अगर इसी संस्थान में से करना है तो फिर आपको जरूरत नहीं थी आपको धारा 10 में अलग से प्रावधान करने का।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं सरकार ने काफी संस्थाएं बनायी होंगी एस एम एस हॉस्पिटल के लिये, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आर यू एच एस का तो हमने गठन किया। हमने वहां व्यवस्थाएं दीं लेकिन मैं यह मानकर चल रहा हूं कि इस राजस्थान प्रदेश में 76 वर्ष में सरकारें, इधर आप बैठे हैं, इधर भी दो-चार दमदार बने होंगे कांग्रेस से भी, दो-चार पांच बार बने हैं लेकिन राजस्थान की जनता आखिरी पड़ाव पर आज भी चिकित्सा संस्थान से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है और सरकार वह व्यवस्था देने में भी आज तक सक्षम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार की 32 से 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। आपके मेडिकल कॉलेजों की

स्थिति यह है कि बच्चे यू-ट्यूब पर पढ़ने के लिये मजबूर हो गये। मेडिकल जैसी संस्थान में आपके पास स्टॉफ नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा भरतपुर के मेडिकल कॉलेज का। 261 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 140 डॉक्टर हैं और सुपर स्पेशलिटी में 61 पदों में से मात्र 2 भरे हुए हैं। आपके पास 40 प्रतिशत से अधिक अगर उन संस्थाओं में, मेडिकल कॉलेज में जो आप डाक्टर बनाना चाहते हैं, जो सुविधा वहां मिलनी चाहिये, उनमें आपके कमी है और वह यू-ट्यूब से पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं होगा। इसलिये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप डॉक्टर और स्टॉफ ऐसे लगाइये जिससे कि डॉक्टर बनाये जा सकते हैं, वह अच्छे बनाये जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने एन.जी.ओ. के माध्यम से आप ही की सरकार ने एक बजट में घोषणा की थी। आपने बजट घोषणा 2025-26 के पैरा नंबर 157 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित किया था कि जितने भी ठेकाकर्मी जो हमारी इन संस्थाओं में लम्बे समय से लगे हैं, उनको सरकार डायरेक्ट सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भरेगी। आपकी जानकारी में कहना चाहता हूं आपके प्रयोगशाला सहायक के हमारे बेरोजगार लोग, जो 2007 से लेकर 2013 से लगे हुए लोग, आज उनको करीब 20 वर्ष हो गये हैं और आज तक सरकार उनको नियमित नहीं कर पायी है। लेखा सहायक 2007 में आपके इस विभाग में लगे हुए हैं उनको आप नियमित नहीं कर पाये हो। 20-20 साल से आपने प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लिया लेकिन आपने उन लोगों को नियमित नहीं किया, कोई सुविधा देने का काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से हम राजस्थान प्रदेश में आर जी एच एस की भी बात कर रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने मेरे लिये एक चर्चा कर दी, लेकिन मैं मेरी बात है इसलिये नहीं कहूंगा। मेरी मां के इलाज के लिये आप कह रहे थे कि आर जी एच एस में इलाज नहीं हो रहा, वह मेरी मां का इलाज था जिसके लिये मुझे किसी प्राइवेट संस्था से वापस लौटकर आना पडा कि आप पहले भुगतान कराइये उसके बाद गवर्नमेंट से उसका रिफण्ड कराना चाहेंगे। ऐसा अगर होता तो आम नागरिक, सामान्य से व्यक्ति को कितनी तकलीफें हो सकती हैं। चिंरजीवी योजना में आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना से लाभ तो मिल रहा है लेकिन आपने कुछ संस्थाओं में चिरंजीवी योजना में गरीब महिलाओं में जब प्रसव की बात आती है तो गरीब महिलाओं में खून की भारी कमी रहती है और उस कमी के कारण उन माताओं के प्रसव के समय उनकी डिलीवरी सामान्य नहीं हो पाती। उस समय सिजेरियन की आवश्यकता रहती है और वह सिजेरियन को आपने चिरंजीवी से बाहर कर दिया। इसलिये लाखों महिलाएं इस सिजेरियन के दौरान अपना प्रसव घर से भुगतान कराकर करना पड़ता है। वह आखिरी छोर की गरीब महिलाएं परेशान हो रही हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम एक बार और कहना चाहूंगा। कई बार महिलाओं में कुपोषण हो जाता है। आजकल बच्चेदानी में रोग खूब हो रहे हैं। महिलाओं की बच्चेदानी के

खूब सारे ऑपरेशन होते हैं। बच्चेदानी के ऑपरेशन को भी आपने इस चिरंजीवी में शामिल नहीं कर रखा। मैं सरकार से मांग करता हूं मैंने दो बातें कही हैं और दोनों बातें महिलाओं से जुड़ी हुई हैं सिजेरियन ऑपरेशन और बच्चेदानी का ऑपरेशन आपके चिरंजीवी में शामिल नहीं है। जनता की मातृशक्ति को आप राहत प्रदान करेंगे और इन ठेका प्रथाओं से मुक्ति देकर जो संविदा पर लगे कर्मचारी हैं, उन सबको, चाहे वह प्रयोगशाला सहायक हो, लेखा सहायक हो या अब एन जी ओ के माध्यम से आपके मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती कर रहे हैं, एन जी ओ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लेकर सात हजार रुपये में कर्मचारी को रख रहे हैं और उससे डेढ़-डेढ़ लाख रुपये इसीलिये लिये जा रहे हैं कि उनको 10 नंबर के बोनस अंक का लालच है कि हम भर्ती होंगे, नौकरी मिलेगी और हमें बोनस अंक मिल जायेंगे। इस लूट को भी रोकने का काम करें। सरकार इन एन जी ओ से मुक्ति दिलाये, इनकी भर्ती सरकार प्रदेश लेवल से करे और उनकी मैरिट जिनकी बनती है, चाहे ए एन एम हो, जी एन एम हो, चाहे आपके प्रयोगशाला सहायक हों, जो भी भर्ती हो, उन सबको आप सरकार के माध्यम से भरें। लोग जिस लालच से पैसे दे रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

सूचना

बिलाड़ा (जोधपुर) के गांवों में बजरी खनन पर रोक हेतु कदम

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लूणी नदी बचाओ एवं पर्यावरण बचाने हेतु ग्राम मालकोसनी, लाम्बा, रावोली के सम्पूर्ण ग्रामवासी करीब 15 दिन से आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुख्ता इंतजाम करावें एवं बजरी खनन रोकने हेतु उचित कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करावें ताकि वहां शांति व्यवस्था बनी रहे।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब तो सरकार के एम एल ए ही कह रहे हैं। यह नौबत आ गयी। यह नौबत आ गयी, गृह राज्य मंत्री महोदय। ..(व्यवधान).. यह नौबत आ चुकी है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025

श्री सभापतिः आपका समय प्रारम्भ हो गया है रविन्द्र सिंहजी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी आर यू एच एस का नाम ..(व्यवधान)... एक मिनट माननीय सदस्य। पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि निर्दलियों को पूरा मौका मिले। हम जब बोलते हैं तो आप बीच में बोलने लग जाते हैं। निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष ने स्टेट का तो यह हाल कर ही दिया है, प्रदेश की 8 करोड़

जनता देख रही है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स, बहुत बढ़िया, ऐतिहासिक बिल लाये हैं। बहुत बढ़िया बिल लाये हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बकरी का नाम शेर रखा है। जब इसकी पूरी संरचना देखी, इसके अन्दर जब गवर्निंग कांउसिल देखी कि किस तरीके से, किन किन लोगों को आप अपाइंट कर रहे हैं, वह तमाम चीजें देखीं तो लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में यह सदन और यहां बैठे हुए तमाम सदस्यों की आवश्यकता को भी हम खत्म कर देंगे। एक भी जन प्रतिनिधि को इसमें आपने जगह नहीं दी। यह वाकई बहुत गंभीर विषय है। आप और हम सबको सोचना पड़ेगा कि तमाम चीजें अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़कर चलते तो फिर इस सदन की, आपकी और हमारी और इस तमाम पूरे लोकतंत्र की जरूरत क्या रहती? आपको इस पर विचार करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़ा बजट खर्च भी कर रहे हैं पर आये दिन हम पूरे प्रदेश भर में देखते हैं कि कई सारे युवा जो अपनी जायज मांगों के लिये लड़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 से प्रयोगशाला भर्ती लम्बित पड़ी है। जो तमाम युवा हैं वह आये दिन धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ वालिंटियर्स फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। सी.एच.ओ. आये दिन सभी एम एल ए के पास, माननीय मंत्रीजी के पास जाते हैं पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधीनस्थ 2023 के ब्लड बैंक टेक्निशियन, ओटी टेक्निशियन, कैथलैब, डायलिसिस आदि तमाम युवा लोग आये दिन अपनी जायज मांगों के लिये आगे आ रहे हैं। नर्सिंगकर्मी हैं वे नर्सिंग निदेशालय की मांग करते हैं। पर इन तमाम बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

माननीय सभापति महोदय, रिम्स बनाने की ओर तो हम जा रहे हैं पर आप विचार करें कि एक तरफ आप रिम्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ग्रामीण क्षेत्रों के CHC, PHC के क्या हाल हैं? डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके क्या हाल हैं? मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। बाड़मेर हमारे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज के समय में वहां पर उपचार कम और घोटाले ज्यादा हो रहे हैं। हरेक चीज में घोटाले हो रहे हैं। मैं तो प्रदेश की सरकार से और विशेषकर मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मजबूत है, अगर वाकई कुछ कर सकते हैं तो बाड़मेर मेडिकल कालेज, बाड़मेर हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ सिस्टम की एक बार जांच करवा दें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आपकी CHC, PHC कमजोर हैं जिसके कारण आये दिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लोड बढ़ता है। डॉक्टर्स तो पहले से ही कम हैं। अब डॉक्टर की मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि रिम्स बना रहे हैं। कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करूं तो 2600 की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास मात्र 510 हैं जिनमें से 2090 के आसपास पोस्टें खाली पड़ी हैं। सर्जन की अगर मैं बात करूं तो हमें जरूरत है 650 डॉक्टर्स की, हमारे पास कितने हैं? 101 हैं।

jyg/rtm/08.09.25/16.50/3d

कुल कितने खाली पड़े हैं पद? 549, स्त्री रोग, अभी जो बात चल रही थी, मातृ शक्ति की बात हम करते हैं, महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं पर आप देखें साहब, 650 पदों की जरूरत है, 650 डॉक्टर्स की जरूरत है, उनमें से हमारे पास कितने हैं, मात्र 131, आप विचार करें कि 519 पोस्टें खाली पड़ी हैं, यह मैं आंकड़ा बता रहा हूं। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इण्डिया का एक सर्वे है उसकी रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं।

अगर मैं शिशु रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करूं तो 650 के आसपास...।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, ये क्या है?

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): ये तमाम आंकडे हैं, आप RIMS बनाये, हम आपके साथ में हैं।

श्री सभापतिः ये RIMS से सम्बन्धित हैं? अब आप कंक्ल्यूड करो।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप कोई नवाचार करें, हम आपके साथ रहेंगे।

श्री सभापतिः पर विषय पर आइये आप। और बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आप बनायें, आप निश्चित रूप से बनायें पर आप पहले से जो व्यवस्था है, उसको मजबूत तो करें। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र से आता हूं, मेरे क्षेत्र का गडरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ की, आज के समय में 70 से 80 किलोमीटर तक सी.एच.सी. है।

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये। RIMS की बात कीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): ये स्थितियां मेरे क्षेत्र की है, यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बॉर्डर को मजबूत करने की बात कर रहा हूं।

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री सभापतिः माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी सदस्यगणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): थर्ड स्टेज पर बोलना हमारा राइट है सर। थर्ड स्टेज के नाम कैसे नहीं पुकारे आपने?

श्री सभापतिः पहले मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके ज्ञान की दुहाई देते हैं माननीय सदस्य। आपके ज्ञान की दुहाई हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं आपसे ही सीख रहा हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने RIMS विधेयक की चर्चा में भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं लेकिन शायद कई सदस्यों

ने इस बिल पर बोला ही नहीं, कोई दारू और बोतल और ढक्कन की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य, धारीवालजी जैसे वरिष्ठ सदस्य हैं, ...(व्यवधान)... आप सुनिये। कोटा से आने वाले माननीय धारीवालजी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसी बड़ी संस्था जो हमारे बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था को दुकान कहकर पुकार रहे हैं। ...(व्यवधान)... फिर इन्हीं के प्रतिपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं कि यह संस्था हमारी बनायी हुई है, यह आरयूएचएस हमारा बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आरयूएचएस शुरू किया गया था। 2015 में आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस शुरू किया गया था बी.जे.पी. की सरकार ने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): असत्य का बड़ा पिटारा आपके पास है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसलिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में विगत डेढ़ साल पहले अनेक नवाचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भ किये हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वो तारीख बता दो आप। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिये। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... विराजिये आप।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसी कड़ी में राजस्थान ...(व्यवधान)... आपको निश्चित रूप से मैं एक अच्छा च्यवनप्राश लाकर दूंगा जिससे आपका दिमाग सही चलेगा क्योंकि आप वृद्धावस्था में हैं आप। आपकी याददाश्त अच्छी हो क्योंकि आप बिल पढ़ नहीं सके, बिल पर आपने बात नहीं की और बात कर रहे थे दुकानों की, दुकानों की बात कर रहे थे आप। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): च्यवनप्राश के दो डिब्बे जोगाराम जी को भी भेज देना।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसी कड़ी में। जो हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी का जो विजन था और सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की थी, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नया आयाम देने के लिए आरयूएचएस, अब मैं आपको बताता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस उन्नयन कर एआईएमएस दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ...(व्यवधान)... RIMS, RIMS, आपको RIMS बता रहा हूं, RIMS की डेफिनिशन, आपने RIMS की डेफिनिशन पूछी है, बाकी आपने RIMS क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। RIMS के बारे में आपको पूरा बता रहा हूं आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, इस पर चरणबद्ध रूप से इन्होंने कहा, इसका क्या बजट होगा, क्या नहीं होगा, चरणबद्ध रूप से हमने यह कहा था कि 750 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। ...(व्यवधान)... इस घोषणा के क्रियान्वयन में प्रदेश को एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा विश्वविद्यालय से पहचान दिलायी जा सकेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठे-बैठें न बोलें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आरयूएचएस का उन्नयन कर एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर एक RIMS की स्थापना की जायेगी। माननीय सभापति महोदय, RIMS की स्थापना मात्र एक संस्था की स्थापना नहीं है। यह राजस्थान के स्वास्थ्य परिदृय को नई ऊंचाइयां देने का संकल्प है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह एक स्वायत्तशासी संस्था होगी। जिसे विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री, डिप्लोमा, उपाधियां प्रदान करने का विधिक अधिकार होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस संस्था के गठन के बारे में बताऊं तो प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। ...(व्यवधान)... इसमें क्या-क्या होगा, इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ट्रांसप्लांट, यूनिट जैसे सुपर स्पेशलिटी जैसे विभाग स्थापित किये जायेंगे। साथ ही जेनेटिक्स रिप्रोडक्टिव साइंस, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसन जैसी आधुनिक सब स्पेशलिटी विकसित की जायेगी। ...(व्यवधान)... आरयूएचएस, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधाओं के लिए भी यह उपलब्ध होगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ हैं, माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): राज्य के भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश में स्वास्थ्य चुनौतियों पर विशेष अनुसंधान होगा। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तरों पर विभिन्न रोगों के उपचार प्रोटोकॉल में नवाचार करेगा और राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपचार की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल द्वारा मेडिकल वैल्यूड ट्रैवल पॉलिसी, हील इन राजस्थान को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, शीघ्र ही इसे लांच किया जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ऐसे बैठे-बैठे न बोलें। इनकी ही बात अंकित हो रही है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इससे मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह संस्था एमडी, एमएस तथा डीएम, एमसीएच आदि स्तर पर स्नातकोत्तर शिक्षण का केन्द्र होगा। RIMS को राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया

जायेगा। इससे हमारे राज्य को उच्च प्रशिक्षित चिकित्सक एवं दंत विशेषज्ञ एवं नर्सिंग कर्मी मिलेंगे जो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जायेंगे। यह संस्था देश और विश्व में श्रेष्ठ संस्थानों, एम्स, आईसीएमआर, आईआईटी, आईआईएम के साथ सहयोग करेगा और यह सहयोग हमारे विद्यार्थियों और शोध कर्ताओं को आधुनिक तकनीक, नवीनतम ज्ञान और और वैश्विक अवसरों से जोड़ेगा।

MLS/RTM/08.09.2025/17:00/3e

सबसे अहम बात यह है कि रिम्स में होने वाले शोध सीधे राजस्थान की जरूरतों पर केन्द्रित होंगे, यानी यहां किये गये अध्ययन और खोज हमारे लोगों की असली स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकालने में मदद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं संस्था की आधारभूत संचरना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें रिम्स एकीकृत संस्था के रूप में विकसित होगा, जिसमें आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज एवं उससे सम्बद्ध अस्पतालों को सम्मिलित किया जायेगा और भविष्य में नर्सिंग कॉलेज का भी इसमें एकीकरण किया जायेगा। इससे यह सम्पूर्ण, बहुआयामी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। रिम्स के मुख्य परिसर में 1100 बैड का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जायेगा, जिसमें आरयूएचएस चिकित्सा तथा स्टेट कैंसर संस्था में शामिल होगी। साथ ही, 400 बैड वाला जयपुरिया हॉस्पिटल भी सम्बद्ध किया जायेगा।

अब मैं रिम्स के प्रशासनिक ढांचे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस संस्थान की गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। रिम्स का संचालन निदेशक द्वारा किया जायेगा, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी। प्रशासनिक कार्य के लिए एक सह निदेशक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। लेखा और वित्तीय प्रबन्ध हेतु एक वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में प्रदेश के प्रमुख एआईआईएमएस, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में सम्मिलित किये जाएंगे।

अब मैं रिम्स के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस संस्था की स्थापना के लिए प्रारम्भिक गैर आवर्ती व्यय के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान)... 750 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है चरणबद्ध तरीके से। ...(व्यवधान)... और बता रहा हूं न मैं आपको। अब बता रहा हूं न। इसके अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 5 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, ...(व्यवधान)... जिसको समय और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स के संचालन के लिए एक कोष स्थापित होगा, जिससे सरकारी अनुदान, विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं अन्य स्रोतों से आय को भी सम्मिलित किया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, इन वित्तीय प्रावधानों से रिम्स को एक पारदर्शी, आत्म निर्भर और सक्षम

संस्था के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रत्येक वर्ष संस्था का वार्षिक बजट तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संस्था के समस्त खातों का लेखा परीक्षण वित्त विभाग अथवा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जायेगा, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। एक वित्त समिति गठित की जायेगी जो सतत निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। सबसे महत्त्वपूर्ण, इस पूरी व्यवस्था में संस्थान की स्वायत्तता और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के बीच उचित संतुलन बनाये रखा जायेगा। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी बड़ी संस्था बनने जा रही है, माननीय सभापति महोदय, इन प्रावधानों के माध्यम से रिम्स का वित्तीय प्रबन्धन न केवल पारदर्शी एवं उत्तरदायी रहेगा, बल्कि संस्था की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, रिम्स न केवल चिकित्सा, शिक्षा और शोध का उत्कृष्ट केन्द्र बनेगा, बल्कि यह राजस्थान की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा एवं गुणवत्ता के मानक स्थापित करेगा। अभी आप यह भी कह रहे थे, इसमें अधिकारी और प्रोफेसर, क्या होगा उनका? इसमें एक सलेक्शन कमेटी बनेगी। उसमें जो पात्र होंगे, उन्हें ऑप्शन दिया जायेगा कि आप रिम्स में काम करना चाहेंगे या सरकार में काम करना चाहेंगे? इसमें जितने भी छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं, वे भी पूरी डिग्री इससे लेंगे। अतः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन दें ताकि राजस्थान आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 40 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 40 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 40 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज हम रिम्स बिल पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक रिम्स का सवाल है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरा ऑब्जेक्शन 6-7 बातों को लेकर है। माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग ही अपनी शक्तियां कम करते चले जा रहे हैं और उल्लेख करना चाहता हूं, जो बिल ब्यूरोक्रैट्स के द्वारा बना दिये जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप उसे अध्ययन नहीं करते होंगे, अपन ने बात की थी इसके प्रिएंबल में कि एम्स के पैटर्न पर इस बिल को पेश किया जायेगा।

माननीय मंत्री जी ने अभी बॉडीज के बारे में बताया था कि इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्निंग काउंसिल, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं किया। There is also a provision of a body of the Institute, जिसका प्रेसिडेंट कौन होता है एम्स में, मालूम है आपको? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट एम्स में या जितने भी एम्स विभिन्न स्टेट्स में बने हैं, वह गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। आपको बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए पूरे सदन में, एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो केन्द्रीय मंत्री नड्डा साहब हैं। यह प्रोविजन है एक्ट में।

अब बात करता हूं, जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता है, वह एक्स ऑफिशियो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होता है। आपने प्रोविजन किया चीफ सैक्रेटरी का। अफसोस है। मैं 8 करोड़ जनता के समक्ष कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या कारण हैं कि जो ब्यूरोक्रैट्स लिखकर लाते हैं, as it is उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि Chief Secretary will be the president of the Governing Body. कम से कम मैं हाथ जोड़कर सदन के सामने विनती कर रहा हूं कि इसका प्रोविजन कर दीजिये कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होगा और बिल में प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होगा। यह करिये, अन्यथा बड़ी दिक्कत रहेगी। They are the public servants, लेकिन हम इनके पब्लिक सर्वेंट्स बनते चले जा रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना पड़ रहा है।

Mkd/rtm/08.09.2025/1710/3f

फिर बात करते हैं, आप एम्स का इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए। सभापति महोदय, उसमें तीन एमपीज का प्रावधान है। आप इन अफसरों को पूछिये, तीन लोक सभा के सदस्य उस इंस्टीट्यूट में मेम्बर होते हैं और गवर्निंग बॉडी में एक होता है।

मेरा कहना है कि हमें यहां ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां गवर्निंग बॉडी, वहां दो बॉडी हैं, इंस्टीट्यूट में भी सारे लोग होते हैं। ये आपने देख लिया होगा। मेरा यह है कि जरूर देखिये इसको। बाद में ले आना भले ही संशोधन, लेकिन आपके जेहन में डाल रहा हूं। ये चैंज कर दीजिये कि गवर्नमेंट जो है कोई भी हो, गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी चैयरमेन उसका और प्रेसीडेंट इंस्टीट्यूट का।

दूसरी बात में कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात टीचिंग की बात कर रहा हूं। आपने इसमें लिखा है, हम एम्स की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी है एम्स अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी देता है। देता है या नहीं देता है तो रिम्स क्यों नहीं दे सकता। आपको जानकारी है पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चंढ़ीगढ़, यहां दीर्घा में ऑफिसर्स बैठे होंगे, वे जानते हैं इस चीज को कि पीजीआई चंढ़ीगढ़ में भी एक्ट में प्रोविजन है। हालांकि, वे एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के लिए है, लेकिन अब वहां मांग हो गई और शायद 2025 से वहां यूजी का मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। उसका बजट क्या है, आपको मालूम है, 2500 करोड़ रुपये।

चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा है कि आरयूएचएस कितने कैम्पस हैं, ज्योग्रोफिकल एरिया क्या है, कितना होगा, पूछ रहा हूं, आप मुझे बता देना। कितना होगा, आपको मालूम है एम्स में कितना है। जिस एम्स की हम बात कर रहे हैं, वह है 213 एकड़ और कब का है वो 1956 का, अंदाज लगाइये। जिस तरह से एसएमएस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त के शासकों को कि आज भी एसएमएस की बिल्डिंग 100-150 वर्षों के बाद भी पूरा राजस्थान नहीं यूपी, हरियाणा और एमपी का लोड झेल रही है और आप उसी आरयूएचएस को, लाना चाहिए रिम्स, 500 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर जमीन लेनी चाहिए थी और वहां डवलप करते, जिससे आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल की आवश्यकताओं को कैटर कर सकता।

इसको भी देखिये, जो लोग कह रहे हैं, जो आशंका, रिम्स के विरोध में कोई नहीं है। यहां जितने भी लोग हैं रिम्स के विरोध में कोई नहीं है। आप इसके प्रोविजन देखिये। किस चालाकी से ऑफिसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस इन सबको वैट करता है और किस चालाकी से मिलीभगत करके आपके हाथों से ही आपके हाथों को कमजोर कर देते हैं, इसको आप देखिये। यह बेसिक प्रश्न है विधायिका के सामने।

एक बार फिर मैं आना चाहूंगा आपने कहा, इसमें रिम्स में लिख दिया, this shall provide for exclusive postgraduate education, क्या लिखने की जरूरत थी, सीधे लिख देते मेडिकल एजुकेशन। आप भविष्य में मेडिकल कॉलेज खोलते, आपके पास मेडिकल

कॉलेज हैं, उसी को अपग्रेड करके वह इंस्टीट्यूट का कॉलेज हो जाता, क्या प्रोब्लम है, इनसे पूछना आप, अधिकारियों से कि इसके पीछे पर्पज क्या है? क्यों मेडिकल कॉलेज, आरयूएचएस की सम्पत्ति तो आप ले रहे हो?

श्री सभापतिः विराजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): और बच्चों की गारंटी भी ले ली है। सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे दो मिनट दीजिये।

श्री सभापतिः आप संक्षिप्त में बता दें। यह थर्ड स्टेज है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें कोई वह नहीं है। मैं केवल जेहन में आपके ला रहा हूं, जिससे अगली बार आप संशोधन लेकर आएं तो इन चीजों का प्रोविजन कर लें।

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक बात और कहना चाहता हूं, फंड्स कहीं भी एम्स में या पीजीआई में जो भी फंड्स आते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट दे, चाहे वह फीस के द्वारा आएं और वे वहां रहते हैं और, either Government or Finance Department will decide, कि उन फंड्स को कहां इंवेस्ट किया जायेगा।

आपको मालूम है ये क्या करने जा रहे हैं, क्या घोटाला करेंगे, सुन लीजिये। जो सरप्लस फंड होगा, वो कहां इंवेस्ट कर सकती है गवर्निंग बॉडी, जहां कोई विधायिका एक आदमी होगा, कहां कर सकती है स्टॉक्स में, शेयर्स में एंड सिक्योरिटीज में। पब्लिक की मनी का दुरुपयोग करने का अधिकार आप इन ऑफिसर्स को दे रहे हो। यह सोचने का विषय है कि गवर्नमेंट यह डिसाइड करे, इंवेस्टमेंट वहां किया जाए। यह नहीं कि एक बॉडी, होता क्या है आप जानते हो कॉर्पोरेशंस में, प्राइवेट बैंक्स को दे देते हैं, सिक्योरिटीज में दे देते हैं और आप जानते हैं उसका कमीशन मिलता है। आपको मालूम होगा सिक्योरिटीज में इंवेस्टमेंट करने पर, स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट करने पर कमीशन का प्रोविजन होता है। क्या द्वार खोल रहे हैं, यह पहली बार देखा है मैंने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः विराजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): कि उसको स्टॉक एंड शेयर मार्केट, finance department will decide, फायनेंस डिपार्टमेंट के सैंक्शन होनी चाहिए कि आप उन फंड्स को कहां, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, पीडी अकाउंट होता है या सरकार बताती है या पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वहां भी डिपोजिट करते हैं, आप तो पूरा अधिकार दे रहे हैं। यह सोचने की बात है।

श्री सभापतिः विराजिये साहब। श्री थावर चन्द।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सर, मैं बिलकुल खत्म ही कर रहा हूं।

श्री सभापतिः सबको अवसर मिलने दो, साहब। विराजिये। श्री थावर चन्द।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): देखिये, मैं एक और लास्ट बात..।

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द। अंकित नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा इस चीज पर एतराज है। जब माननीय सदस्य आपको अच्छे सजेशन दे रहे हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः सारे विषय आ गये है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): और सुनिये बिल के ऊपर कोई सदस्य विषय वस्तु पर बोलता है तो उसको रोक नहीं सकते आप।

श्री सभापतिः सारे विषय आ गये, उनकी मुख्य बातें आ गई हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, यह गलत बात है।

श्री सभापतिः ऐसे थोड़े ही है, विराजिये। श्री थावर चन्द, आप बोल रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द जी, आप बोल रहे हैं?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य, आप बैठिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः आपको काफी समय दे दिया। आपने काफी अच्छी बात बता दी। मंत्री जी उत्तर भी देंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द जी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः नहीं-नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप नई परिपाटी डाल रहे हैं, इसमें टाइम होता है क्या? अगर बिलों पर ही सदस्य डिबेट नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? किस पर करेगा, यह बताइये आप।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री सभापतिः नहीं बोलना? श्री छगन सिंह। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा आपसे आग्रह है, यह नई परिपाटी मत डालिये, अच्छे सजेशंस आ रहे हैं, उनको आने दीजिये।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा, नहीं बोलना है? प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैंने तो दे दिया ना।

श्री सभापतिः कहां बोल रहे हैं, पांच बार नहीं, सात बार, आठ बार नाम बोला है। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, उनका कितनी बार नाम पुकारा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं जल्दी किसको है। सब लोग चर्चा कराना चाहते हैं,यह क्या बात हुई।

श्री सभापतिः हां तो बोलो ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं गलत बात। गलत बात आप लोगों की।

श्री सभापतिः ऐसा थोड़े ही होता है। मैं नाम बोल रहा हूं, पुकार रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी टाइम पडा है, 6 बजे तक का टाइम है, टाइम बढ़ा भी सकते हैं।

श्री सभापतिः मैंने पुकारा नहीं क्या, आप रिकोर्डिंग देखो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं तो आप इनको बोलने दीजिये, इनको बोलने दीजिये।

श्री सभापतिः मैंने आठ बार बोला होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, फिर आप लोग करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करिये। यानी, हम लोग सजेशन भी नहीं दें!

श्री सभापतिः ऐसे थोड़े ही होता है, पर्याप्त समय दिया है। आठ मिनट श्री सुभाष गर्ग को बुलवाया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर पाबन्दी नहीं होती है। आप कानून बता दीजिये।

श्री सभापतिः ऐसे थोड़े ही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बता दीजिये कौन-से कानून में लिखा है? आप कानून बता दीजिये।

श्री सभापतिः श्री धारीवाल जी को 10 मिनट बुलवाया। आप जितना बोले, आपको बुलवाया, कौन मना कर रहा है, कोई मना थोड़े ही कर रहा है,साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री सभापतिः नहीं-नहीं। ऐसे नहीं। ये गलत आक्षेप नहीं लगेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री सभापतिः और माननीय सदस्य का भी कम से कम सात-आठ बार नाम बोला है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम मना थोड़े ही कर रहे हैं किसी के लिए, बुलवाइये सदस्यों को, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है सदस्यों को बोलने से। आप बुलवाइये, सबको अलाउड करो।

श्री सभापतिः हां, बुलवा रहा हूं मैं, ऐसे आप उसके बाद नाम लेकर आ रहे हो। आप बोल रहे हैं?

श्री थावर चन्द (धरियावद): हां, बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः बोलो। आपका आठ बार नाम लिया होगा। ऐसे थोड़े ही होता है। सदन को सदन की तरह रखें आप लोग, सब्जी मंडी थोड़े ही है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक 2025 पर मुझे बोलने का जो अवसर मिला।

श्री सभापतिः आप विराजिये, साहब। आप विराजिये। आप बुजुर्ग, वरिष्ठ हैं। आप विराजिये। आप विराजिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। ऐसे नहीं, साहब, प्लीज। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होकर ऐसा कर रहे हैं। समय-सीमा भी होती है। फिर तो 24 घंटे चलाओ ना साहब। इसके लिए आप तैयारी से तो आओ।

श्री थावर चन्द (धरियावद): यह जो संशोधन आ रहा है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि रिम्स की तुलना में ऐसा ही अस्पताल आदिवासी इलाके में भी खोला जाए।

श्री सभापतिः समय-सीमा भी होती है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): जहां आदिवासी अंचल के अन्दर हम लोगों को ऐसा सपना दिखाया जाता है कि जयपुर तक आने के लिए, इलाज कराने के लिए, लेकिन हमारे इलाके के अन्दर जो पुरानी सीएचसी, पीएचसी बनी हुई हैं, वे अन्तिम सांसें गिन रही हैं। वहां के हालात जर्जर हैं और आदिवासी इलाकों के अन्दर डॉक्टर्स की कमी है।

जैसे मेरे धरियावद हॉस्पिटल के अन्दर 21 में से मात्र 5 का ही स्टाफ लगा हुआ है तो उस आदिवासी अंचल के अन्दर इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से जड़े हुए हॉस्पिटल बने ताकि जो जयपुर में बन रहा है, वैसा इलाज आदिवासियों को मिल सकें। वहां पर मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा हमारे इलाके के अन्दर उदयपुर सम्भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही आदिवासी अंचल में एक रोग है जो सिकलसेल के नाम से जाना जाता है। वहां पर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

श्री सभापतिः मैंने भी देखी है पूरी व्यवस्था।

श्री थावर चन्द (धरियावद): पिछले साल दिनांक 26.10.2023 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज..।

Bhs/Rtm/08.09.25/17.20/3g

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

के नाम पर निर्माण हेतु बजट स्वीकृत हुआ था जो 16 करोड़ के आस-पास था और उसका यू.आई.टी. उदयपुर द्वारा प्रदान किये जाने के बावजूद आज तक निर्माण नहीं हुआ। सिकल सैल एक भयानक रोग है जो आदिवासियों में लगातार फैल रहा है, उसको लेकर गम्भीर होना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहले चिरंजीवी योजना चलती थी वह गरीबों के लिए थी, चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान के अलग-अलग

कोनों में इलाज होता था उसके बाद में ...।

श्री अध्यक्षः विषय पर बोलिये। यह विषय नहीं है आज का।

श्री थावर चन्द (धरियावद): जी, सर। मैं यह कहना चाह रहा था कि नया बिल आ रहा है लेकिन पुराने जर्जर भवनों की हालत खराब है उन्हें कब ठीक किया जायेगा, स्टाफ की पूर्ति कब की जायेगी? चिरंजीवी के माध्यम से आज की तारीख में हमारे आदिवासी अंचल के लोग अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, मुम्बई के अन्दर पलायन करते हैं, उनका इलाज वहां पर रोका गया है। सरकार द्वारा पुनः चिरंजीवी के माध्यम से अलग-अलग स्टेट के अन्दर जो आदिवासी हैं उनका इलाज किया जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा...।

श्री अध्यक्षः बैठिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.21 बजे मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)